

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



वार्षिक

प्रतिवेदन 2021-22

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



वार्षिक प्रतिवेदन 2021 -2022



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

प्रौद्योगिकी



शोध एवं विकास

नवाचार (परिवर्तन)



विषय सूची

	पृष्ठ सं.
राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) के बारे में	4 -22
केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार प्रमाणित वित्तीय विवरण	
1. तुलन पत्र - एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	24&26
2. आय और व्यय लेखा - एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	25&27
3. तुलन पत्र की अनुसूची -एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	28-44
4. प्राप्ति और भुगतान लेखा - एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	45-46
5. खातों पर नोट्स - एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	47-59
एनएबी स्पष्टीकरण के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	60-72



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के बारे में

1. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त सोसायटी है, जिसकी स्थापना 2013 में (पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों एवं विनियमों के साथ की गई थी।
2. सोसाइटी का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र से तकनीकी और डोमेन विशेषज्ञता को एक मंच पर लाना है। इससे मोटर वाहन उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियों, विनियमों और हस्तक्षेपों को आकार देने में शामिल विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच सहयोग में सुविधा होगी। ऐसा करने से, इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध होगा।
3. सोसाइटी के एमओए में सोसायटी के विस्तृत लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - i. मोटर वाहन क्षेत्र से संबंधित डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना। सरकारी नीति और विनियमन तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसे डेटा का विश्लेषण करना।
 - ii. एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों में पालन की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मानकीकरण सुनिश्चित करना और परीक्षण केंद्र सह-संबद्ध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग करना।
 - iii. किसी भी ऑटोमोटिव परीक्षण और परीक्षण केंद्र विवादों के लिए अपीलीय निकाय होना और एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों द्वारा किए गए प्रमाणन, प्रत्यायन और परीक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करना।
 - iv. परीक्षण केंद्रों की ओर से व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों (डीपीआर) को विकसित करना, इन्हें वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, परियोजना निगरानी और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों की रिपोर्टिंग का पर्यवेक्षण भी एनएबी द्वारा किया जाएगा।
 - v. भारी उद्योग संस्थान के अंतर्गत परीक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का प्रशासन, निगरानी, समन्वय, विनियमन और सहक्रियाशीलता करना ताकि केन्द्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रदान की जा रही अपेक्षित सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने, सुविधाओं की बेंचमार्किंग सुनिश्चित की जा सके।
 - vi. यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा केंद्रों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर इष्टतम रिटर्न प्राप्त हो।
 - vii. नई ऑटोमोटिव पहलों, ऑटोमोटिव नीति, सांविधिक अनुपालन, शिकायत निवारण और सीवीसी, लेखापरीक्षा आदि जैसी सरकार की संवैधानिक एजेंसियों से संबंधित मामलों सहित सरकार से प्राप्त संदर्भों के संबंध में एवं उपरोक्त सभी मामलों में परीक्षण-केंद्रों के साथ पर्यवेक्षण, प्रशासन और समन्वय रखना।
 - viii. क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, लेखा परीक्षा/प्रत्यायन और परीक्षण केंद्रों की आवश्यकताओं का उन्नयन/विस्तार करना।
 - ix. नैटिस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखना।
 - x. सरकार अथवा शासी परिषद्, एनएबी द्वारा दी गई किसी भी अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों का अनुपालन करना।

- xi. शासी परिषद्, एनएबी द्वारा यथाअनुमोदित शुल्क के साथ बाहरी एजेंसियों को परामर्श और विशेषज्ञता प्रदान करना।
 - xii. राष्ट्रीय / वैश्विक परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों, उद्योग संघों, मोटर वाहन नीति निर्माण, परीक्षण, होमोलोगेशन, विनियम, प्रमाणन, मान्यता, अनुसंधान एवं विकास और नई पहल से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करना।
4. सोसायटी के नियमों और विनियमों के संदर्भ में, शासी परिषद् एक शासी निकाय है, जिसे सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है। पंजीकरण के उद्देश्य से शासी परिषद् का गठन आठ सदस्यों के साथ किया गया था जिसका प्रतिनिधित्व अब सोसाइटी के निम्नलिखित 'सदस्य वर्गों' के 24 सदस्यों द्वारा किया जाता है:
- साधारण सदस्य;
 - कार्यात्मक सदस्य;
 - सदस्य केंद्र;
 - संबद्ध सदस्य;
 - मनोनीत सदस्य;
 - मानद सदस्य;

शासी परिषद् की वर्तमान संरचना (नवंबर, 2022 के उपरांत)

1.	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय- अध्यक्ष, एनएबी
2.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय
3.	अपर सचिव (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय
4.	कार्यात्मक सदस्य, एनएबी
5.	अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
6.	अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)
7.	निदेशक (एमकेटी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
8.	अध्यक्ष, स्केल समिति
9.	प्रबंध निदेशक और सीईओ, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल)
10.	निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी, (सदस्य सचिव, एनएबी)
11.	प्रबन्धक निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (ओएएडीएम), एनएबी
12.	अध्यक्ष, सियाम
13.	अध्यक्ष, एसीएमए
14.	अध्यक्ष टीएमए
15.	अध्यक्ष, एआरएआई
16.	डॉ. अनीश शाह, सीईओ और प्रबंध निदेशक, महिंद्रा समूह
17.	श्री शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक, टाटा मोटर्स
18.	श्री सौमित्र भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, बॉश लिमिटेड
19.	श्री दीपक जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ल्यूमैक्स



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

20.	श्री गोपाल महादेवन, निदेशक, स्ट्रैटेजिक वित्त, अशोक लीलैंड
21.	श्री कवन मुख्तयार, पार्टनर एवं लीडर-ऑटोमोटिव, पीडब्लूसी इण्डिया
22.	निदेशक – आईकैट
23.	निदेशक – नैट्रैक्स
24.	निदेशक – जीएआरसी

5. सोसायटी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअनुमोदित कर्मी संख्या पच्चीस है, जिसमें संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
6. सोसायटी की भूमिका और प्रमुख कार्यों को इसके नियमों और विनियमों में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है:
 - i. **प्रमुख कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ परीक्षण केंद्रों के कामकाज का प्रशासन, अनुवीक्षण, समन्वय, विनियमन और तारतम्य स्थापित करना, क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, परीक्षण केंद्रों द्वारा एनएबी को प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण और होमोलोगेशन प्रमाण-पत्र जारी करना। ऑटो नीति से संबंधित मुद्दों के लिए सलाह, तकनीकी इनपुट और सचिवालय सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता का भंडार बनाना, ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण आदि के क्षेत्र में कौशल सेट और दक्षताओं का विकास करना।
 - ii. **मुख्य कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां तैयार करना और परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करना, ऑटोमोबिल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित पहलों और समग्र मुद्दों की देखभाल करना, नए वाहन मूल्यांकन कार्यक्रम (एनवीएपी) की डिजाइन और प्रशासन, ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित डेटा के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना और विश्लेषण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ सड़क सुरक्षा बोर्ड के साथ सहयोग करना, उपकर निधि परियोजनाओं, परीक्षण सुविधा आयोजना, परीक्षण केंद्र की तैयारी के लिए उन्नयन और विस्तार, परीक्षण केंद्र सह-संबंध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समन्वय करना शामिल हैं। परीक्षण संबंधी किसी भी विवाद के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना, उभरती मोटर वाहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में जनशक्ति क्षमता का विकास करना, उद्योग और शिक्षा (एमओयू और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विनियम कार्यक्रम) के साथ विनियम का सशक्तिकरण और संवर्धन करना।
 - iii. **सुविधा प्रदानकारी कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों और संघटकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के रूप में कार्य करना और प्रत्यायित परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर वाहनों और संघटकों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना, विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को अपनाने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन, मानकों, जनहितकारी सूचना का विनियमन और प्रकाशन, ऑटोमोटिव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विनियामक प्रणाली का संवर्धन शामिल हैं।
 - iv. इसके अलावा, एनएबी, एनएटीआईएस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखेगा।
7. एनएबी 2021 में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के पूरा होने के बाद, नैट्रिप के तहत विकसित निम्नलिखित परीक्षण केंद्रों की निगरानी और प्रशासन कर रहा है। ये केंद्र अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं। एनएबी के तहत परीक्षण केंद्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- i. **इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट), मानेसर, हरियाणा:** इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट) राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी), भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक अग्रणी विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और अनुसंधान व विकास सेवा प्रदाता केंद्र है। आईकैट को मोटर वाहन और उसके घटकों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सीएमवी नियम 126 के तहत एक अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने आईकैट को उत्सर्जन और ध्वनि प्रकार अनुमोदन और जनरेटर सेटों के सीओपी के लिए एक अधिकृत परीक्षण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। नियामक परीक्षणों के अलावा, आईकैट ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे- पावरट्रेन, शोर कंपन और कठोरता, संघटक, फटींग, फोटोमिट्री, टायर और पहिया, निष्क्रिय सुरक्षा, ईएमसी, सीएडी और सीएई।



आईकैट परिसर-1, मानेसर

- i) यह केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीआई) के रूप में विकसित हुआ है:
- शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)
 - संघटक विकास

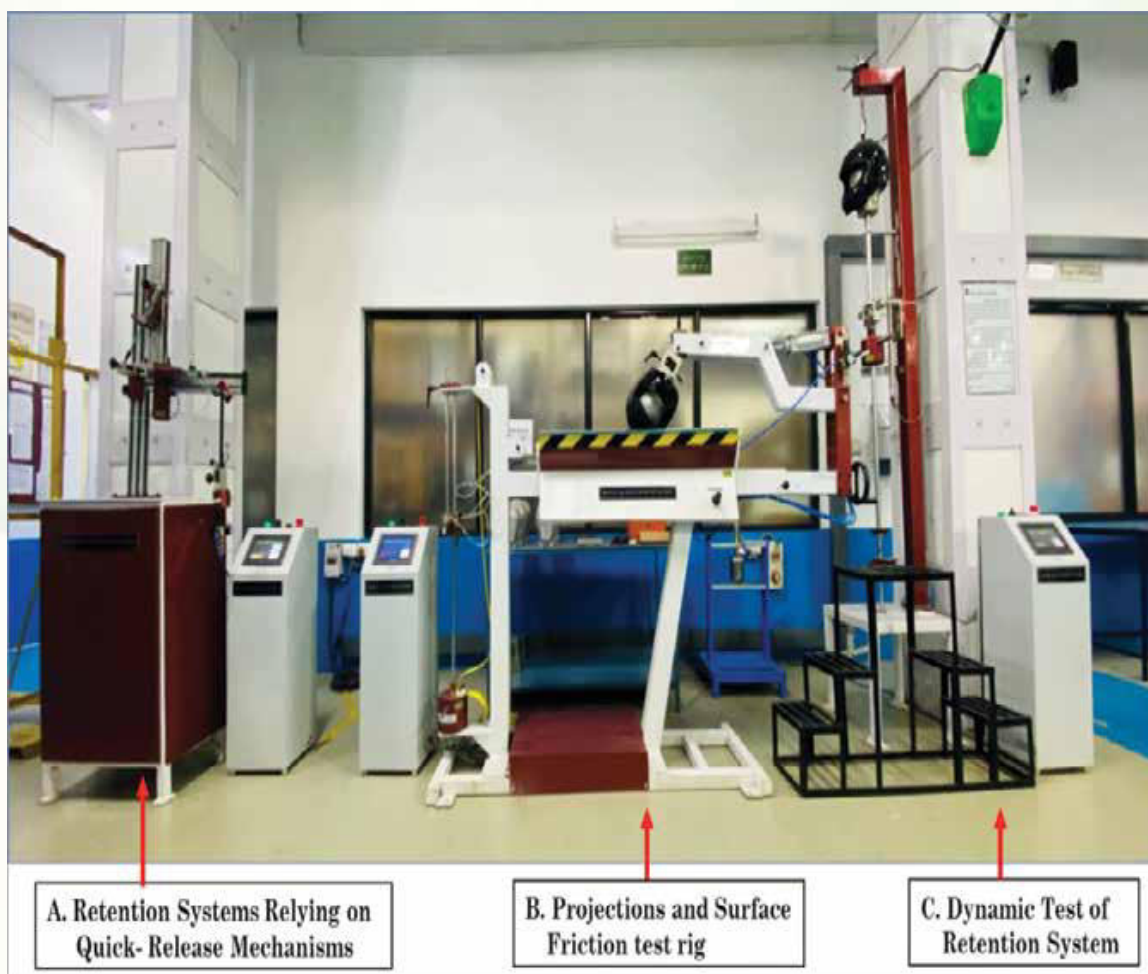


शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)

(ii) COVID-19 महामारी के बावजूद, ICAT ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बिना किसी रुकावट के अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं।

(क) हेल्मेट परीक्षण सुविधाएं: हेल्मेट उद्योग (भारतीय और विदेशी) के साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को समर्थन देने के उद्देश्य से आईएस 4151: 2015 के अनुसार मोटर चालित 2 व्हीलर उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षात्मक हेल्मेट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए आईसीएटी-सेंटर 1 के कंपोनेंट्स टेस्ट लैब (सीटीएल) द्वारा समर्पित परीक्षण सुविधाएं स्थापित की गई थीं। इस परीक्षण सुविधा के तहत निम्नलिखित प्रमुख परीक्षण रिग स्थापित और चालू किए गए;

- त्वरित-रिलीज तंत्र परीक्षण रिग पर निर्भर अवधारण प्रणालियाँ
- प्रभाव अवशोषण परीक्षण रिग
- प्रक्षेपण और सतह घर्षण परीक्षण रिग
- रिटेंशन सिस्टम टेस्ट रिग का डायनेमिक टेस्ट
- यूवी चैंबर
- जल स्प्रे चैम्बर
- चिन स्ट्रैप के लिए माइक्रो स्लिप टेस्ट रिग



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



हेलमेट परिक्षण सुविधा

(ख) आईसीएटी, भारत और एमपीआर इंटरनेशनल जीएमबीएच, जर्मनी ने 7 अप्रैल, 2021 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए: वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ ऑटोमोटिव के क्षेत्र में परीक्षण और प्रमाणन के विदेशी व्यवसाय को लाने के उद्देश्य से, आईसीएटी ने 7 अप्रैल, 2021 को COVID-19 के यात्रा प्रतिबंध के कारण वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एमपीआर इंटरनेशनल जीएमबीएच, जर्मनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। प्रमाणन व्यवसाय को संभालने में आपसी सहयोग और समर्थन के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के प्रमुख क्षेत्रों में ऑटोमोटिव घटकों के लिए बीआईएस लाइसेंस, बैटरी, ADAS के घटक, AIS:037 आदि के अनुसार ऑटोमोटिव घटकों की TAC और COP आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं।



समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

(ग) आईसीएटी, भारत और एफटी टेक्नो कंपनी लिमिटेड (एफटीटीसीएल), जापान ने 15 जुलाई, 2021 को एक संयुक्त सहयोग समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए : COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15 जुलाई, 2021 को आईकैट, भारत और FT टेक्नो कंपनी लिमिटेड, जापान के बीच एक संयुक्त सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईसीएटी के निदेशक और एफटीटीसीएल, जापान के अध्यक्ष, श्री तेत्सुया ताकानो ने ऑटोमोटिव



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

परीक्षण, सत्यापन, प्रमाणन/होमोलॉगेशन (घटकों के साथ-साथ वाहनों के लिए) के विदेशी व्यवसाय को बढ़ाने और भविष्य के ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियाँ के क्षेत्र में क्षमता विकसित करने के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से लिए सहयोग करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

(घ) 25 अगस्त, 2021 को 'व्हील रिम टेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी' पर वेबिनार: समग्र ऑटोमोटिव सुरक्षा के तहत व्हील रिम के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, एमएचआई की पहल म.ह. अनलाइन पोर्टल, उद्योग के लाभ के लिए आईसीएटी द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (एस्पायर) को ध्यान में रखते हुए, आईसीएटी ने 25 अगस्त, 2021 को 'व्हील रिम टेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी' पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस वेबिनार का उद्देश्य व्हील रिम उद्योग के साथ-साथ अन्य हितधारकों ओईएम, सलाहकार आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना था।

(ङ) आईसीएटी ने 13 जनवरी, 2022 को 'हेलमेट परीक्षण प्रौद्योगिकी' पर वेबिनार का आयोजन किया : जन भागीदारी के लिए 13 जनवरी, 2022 को 'हेलमेट परीक्षण प्रौद्योगिकी' पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 10 जनवरी, 2022 से 16 जनवरी, 2022 की अवधि के बीच भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के एक भाग के रूप में आईसीएटी द्वारा आयोजित सूचनात्मक और शैक्षिक वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारी उद्योग भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे और श्री कृष्ण पाल गुर्जर, माननीय भारी उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार के संदेश के साथ किया गया।



वेबिनार हेलमेट परीक्षण प्रौद्योगिक

- II. **वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीएआरसी) चेन्नई, तमिलनाडु:** वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीएआरसी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है जो व्यापक परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन के माध्यम से मोटरवाहन उद्योग को आगे बढ़ाने को समर्पित है। जीएआरसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, सीएमवी नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण केंद्रों में से एक है। जीएआरसी ने सीएमवीआर के अनुसार उद्योगों को संघटकों के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास पारितंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीएआरसी वाहनों और उनके घटकों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से कई प्रकार की सेवा सुविधाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय- दोनों विनियमों के साथ ऑटोमोबिल की समग्र विश्वसनीयता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन, उत्सर्जन परीक्षण और निष्पादन आकलन शामिल हैं।



जीएआरसी, चेन्नई

- i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीआई) के रूप में विकसित हुआ है:
- विद्युत-चुम्बकीय अंतःक्षेप और विद्युत-चुम्बकीय संगतता (ईएमसी/ईएमआई)
 - उन्नत निष्क्रिय सुरक्षा (एपीएसएल)
 - इन्फोर्ट्रॉनिक्स



ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

- (ii) ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर ऑटोमोबाइल निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को परीक्षण और मूल्यांकन सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान कर रहा है। जीएआरसी तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के पास ओरागडम में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी केंद्र के भीतर विभिन्न ऑटोमोबाइल घटकों और सुविधाओं की सुरक्षा, प्रदर्शन और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उन्नत परीक्षण उपकरण और पद्धतियों का उपयोग करता है। जीएआरसी ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की हैं।
- (क) **इन्फोर्टराॅनिक्स/ईवी:** बैटरी परीक्षण के लिए द्वि-दिशात्मक पावर स्रोत का सेट-अप ईवी प्रयोगशाला में शुरू किया गया है और संचालन के लिए उपलब्ध है। कुल 5 ईवी कम गति वाले वाहन प्रमाणन परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। व्यवसाय सहयोग और राजस्व सृजन पर केयरसॉफ्ट, रोटेक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। फेम इंडिया योजना के तहत 2 ईवी पैकेज सफलतापूर्वक चालू हो गए हैं और ओईएम के लिए संचालन उपलब्ध है।
- (ख) **पैसिव सुरक्षा लैब:** क्रैश कोर उपकरण से सुसज्जित है तथा संबंधित परीक्षण कार्य कर रही है।



निष्क्रिय सुरक्षा प्रयोगशाला

- (ग) **टेस्ट ट्रैक:** तत्काल परीक्षण संदर्भों के लिए पूर्वनिर्धारित व्यास चिह्नों को स्टीयरिंग पैड टेस्ट ट्रैक में नवीनीकृत किया जाता है।
- (घ) **ईएमआई/ईएमसी:** लैब-मैसर्स ईटीएस ने दो सीएसएसी कक्षों का आईएंडसी पूरा किया: चैंबरों का उद्घाटन 20/09/2021 को श्री अरुण गोयल, सचिव, एमएचआई द्वारा किया गया।



सचिव एम एच आई द्वारा उद्घाटन

(ड) भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहल के तहत 15 सितंबर 2021 को ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को भारत सरकार ने अधिसूचित किया। यह योजना स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करने और उद्योगों की आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री अरुण गोयल ने 20 सितंबर 2021 को चेन्नई में पीएलआई योजना पर उद्योग जगत के अग्रणी ओईएम और ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं से साथ संगोष्ठी के माध्यम से बातचीत की।



जीएआरसी चेन्नई यात्रा के दौरान उद्योगों के साथ बातचीत

(च) जीएआरसी होमोलॉगेशन तकनीकी सेल (जीएचटीसी): वर्ष के दौरान अतिरिक्त कार्यक्षेत्रों के साथ एनएबीएल के लिए बाहरी ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, अब कुल मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्र 322 हैं। टू-व्हीलर होमोलॉगेशन टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेशन के लिए मॉक ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया।

- III. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक (नैट्रेक्स) इंदौर मध्यप्रदेश :** नैट्रेक्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम संख्या 126 के तहत एक अधिसूचित परीक्षण एजेंसी है। नैट्रेक्स नैट्रिप के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रमाणन केंद्रों में से एक है। नैट्रेक्स के पास व्यापक परीक्षण सुविधा है और यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर वाहन गतिशीलता, प्रमाणन और अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के विकास के लिए परीक्षण ट्रैक और वाहन गतिकी प्रयोगशाला (वीडीवाई), जो उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ में विकसित हुई है, इन जैसी अपनी जमीनी सुविधाओं के माध्यम से एकल केंद्र समाधान प्रदान करता है। नैट्रेक्स प्रूविंग ग्राउंड्स भारतीय और वैश्विक मानकों के अनुसार 2/3 पहिया वाहनों से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए विश्वस्तरीय व्यापक वाहन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। नैट्रेक्स भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन और विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है। नैट्रेक्स देश में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए क्रेश बैरियर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है। इसी तरह, सड़क सुरक्षा के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएस) सुविधाओं का परीक्षण भी शुरू हो गया है।



नैट्रेक्स, इंदौर

- i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:
- वाहन गतिकी (वीडीवाई)



वाहन गतिकी (वीडीवाई)

- (ii) नैट्रेक्स ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की है।
- (क) नैट्रेक्स ने 17 से 20 नवंबर 2021 तक मर्सिडीज AMG के लॉन्च की मेजबानी की है। नैट्रेक्स ने दिसंबर 2021 में एम्बुलेन्स कोड के तहत पहला CMVR प्रमाण पत्र जारी किया।
- (ख) नैट्रेक्स इंदौर में हाई-स्पीड ट्रेक का उद्घाटन 29 जून 2021 को श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण, तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम भारत सरकार के कर कमलों द्वारा, श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव माननीय मंत्री औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार एवं श्री. अरुण गोयल आईएस, सचिव डीएचआई की गरिमामाई उपस्थिति में किया गया। हाई-स्पीड ट्रेक एशिया का सबसे लंबा ट्रेक है।



हाई स्पीड टेस्ट ट्रेक का उद्घाटन-नैट्रेक्स

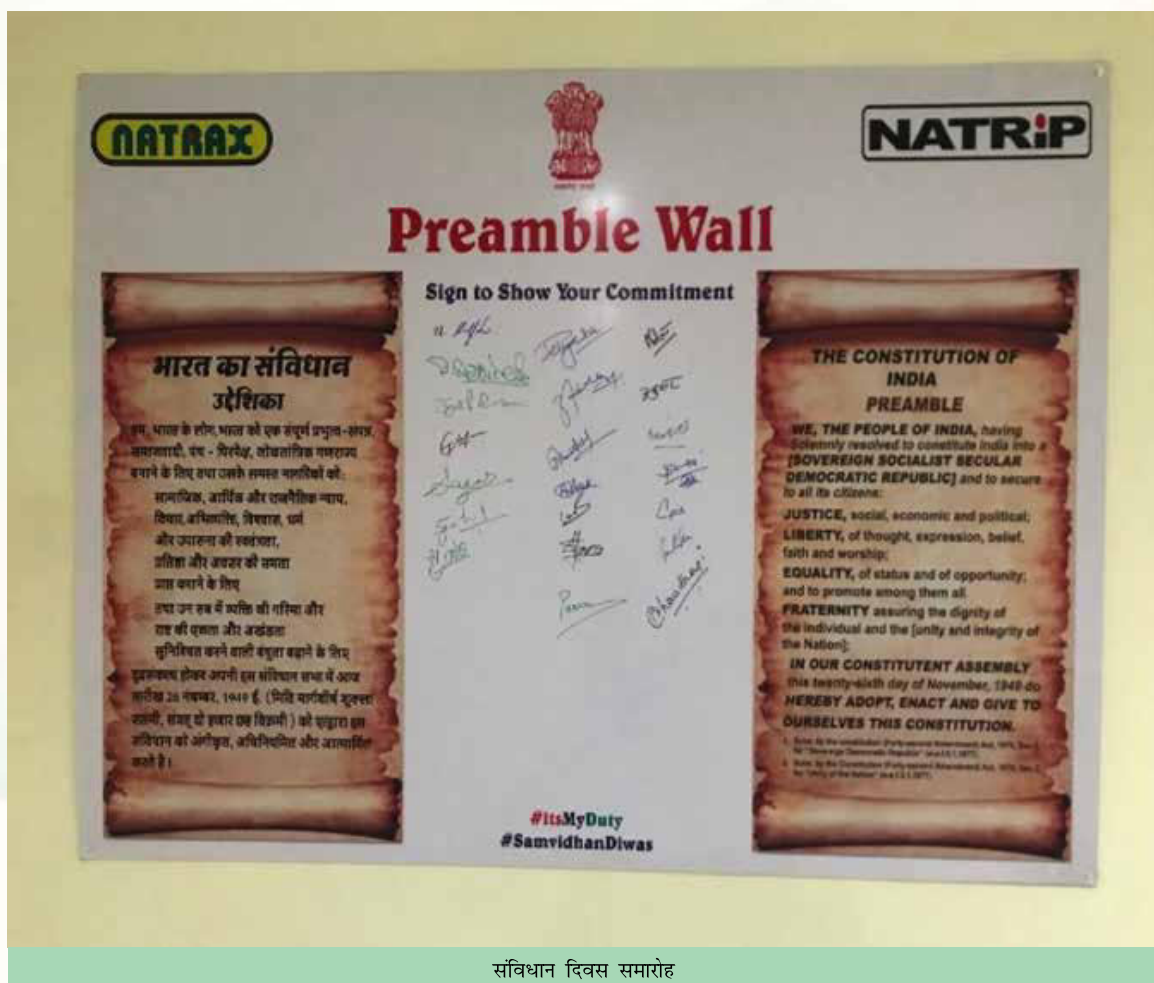


हाई स्पीड टेस्ट ट्रेक



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

- (ग) 14-29 सितंबर 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें नैट्रेक्स में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए निबंध लेखन, एक्सटेम्पोर आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- (घ) टीम नैट्रेक्स द्वारा संविधान दिवस मनाया गया और भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावना पढ़ने का सीधा प्रसारण सभी कर्मचारियों द्वारा देखा गया। एक प्रस्तावना दीवार तैयार की गई और सभी कर्मचारियों ने संविधान के सम्मान और पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए दीवार पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के बाद, डीएआरपीजी द्वारा 'संवैधानिक मूल्यों और मौलिक सिद्धांतों' पर आयोजित वर्चुअल वेबिनार में कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, पूरे वर्ष संविधान का जश्न मनाने के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।



संविधान दिवस समारोह

IV. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण, अनुरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएआईएमटी-सिलचर)

असम: एनआईएआईएमटी-सिलचर असम राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। एनआईएआईएमटी पूर्वोत्तर और देश के पूर्वी भाग का एकमात्र केंद्र है। एनआईएआईएमटी-सिलचर के क्रमशः जाफिरबॉन्ड और ढोलचेरा में 20 एकड़ और 60 एकड़ के दो परिसर हैं। इसकी तीन प्रमुख गतिविधियां (1) ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण (2) यांत्रिकी प्रशिक्षण और (3) स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण के क्षेत्र में हैं।



जाफिरबॉन्ड परिसर

- (i) इसका अधिकांश बुनियादी ढांचा जाफिरबॉन्ड में स्थित है। ढोलचेरा की सुविधा में 1 किमी लंबा पहाड़ी ट्रैक है। एनआईएआईएमटी वर्ष 2011 से स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण सुविधा के साथ चालू हुआ, शेष सुविधा 2013 में पूरी हुई।
- (ii) एनआईएआईएमटी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की हैं।
- (क) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित 'योजना का कार्यान्वयन - असम के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 50 युवाओं को शामिल करते हुए ड्राइविंग में कौशल प्रशिक्षण' के अंतर्गत कछार जिले के लिए प्रायोजित 350 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रथम बैच (बैच आकार-100 संख्या, अवधि-45 दिन) का उद्घाटन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है (11 जनवरी 2022 को शुरू हुआ और सितंबर 2022 तक 350 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पूरा होने की उम्मीद है)।



राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ड्राइविंग में कौशल प्रशिक्षण का उद्घाटन कार्यक्रम



राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ड्राइविंग में कौशल प्रशिक्षण का उद्घाटन कार्यक्रम

- (ख) ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) आटोमोटिव प्रशिक्षण के अंतर्गत एलएमवी फ्रेशर प्रशिक्षण, एचएमवी के लिए शुरुआती पाठ्यक्रम और भारी मोटर वाहन चालक और विशेष कार्यक्रमों के लिए स्व-प्रायोजित श्रेणी के तहत नियमित ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में एलएमवी श्रेणी में प्रशिक्षित कुल उम्मीदवार 95, एचएमवी श्रेणी में 8 और पुनश्चर्या में 219 हैं।

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



आईओसीएल में पुनश्चर्या प्रशिक्षण एचएमवी



आईओसीएल में प्रशिक्षण सत्र

- (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 में एमटीआई के तहत 2 दिवसीय आरपीएल कार्यक्रम के लिए ऑटोमोटिव सर्विस तकनीशियन लेवल -4 सेगमेंट के तहत 87 उम्मीदवारों (टिमकेन द्वारा प्रायोजित) का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। सभी उम्मीदवारों को ऑटोमोटिव वर्कशॉप/सर्विस स्टेशन में उनके तकनीकी कार्या में उपयोग के लिए तकनीकी सहायता के रूप में टीमकेन की ओर से हेड किट (विभिन्न प्रकार के उपकरणों सहित) प्रदान किए गये।



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



टिम्केन प्रायोजित कार्यक्रम



प्रशिक्षण सत्र

8. भारी उद्योग मंत्रालय ने 16 से 31 अगस्त, 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया था। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत एनएबी मुख्यालय और परीक्षण केंद्रों में भी सभी कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता की शपथ के साथ की गई थी। इस अवधि के दौरान एनएबी मुख्यालय और परीक्षण केंद्रों में ये गतिविधियां की गई; (i) स्वच्छता संदेश को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण बैनर प्रदर्शित करना, (ii) सफाई अभियान (iii) परीक्षण केंद्रों में वृक्षारोपण (iv) जल संरक्षण पर वेबिनार (v) एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर वेबिनार। दैनिक अपडेट 'स्वच्छ भारत मिशन' पोर्टल पर भी पोस्ट किए गए हैं।



स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान

9. आधिकारिक कामकाज में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एनएबी कार्यालय ने 14 से 29 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया था। इस अभियान के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा के उपयोग में रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इस दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गई: (i) निबंध प्रतियोगिता (ii) पत्र लेखन (iii) अनुवाद प्रतियोगिता आदि।



14 से 29 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा के दौरान गतिविधियाँ



10. एनएबी के सभी परीक्षण केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक और आत्मनिर्भर हैं तथा उद्योग को विश्व स्तरीय परीक्षण, होमोलोगेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपने परिचालन राजस्व से अधिशेष उत्पन्न कर रहे हैं।
11. सोसाइटी वर्तमान में अपने सभी परीक्षण केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह प्रयास मोटर वाहन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वित्तीय सूचना 2021-2022





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र

31 मार्च, 2022 को

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2022 को	31.03.2021 को
कॉर्पस/पूँजी निधि और देयताएं			
कॉर्पस फंड/पूँजी फंड	1	14,84,15,30,077	-
आरक्षित एवं अधिशेष	2	6,15,10,73,422	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	20,62,96,275	41,60,49,691
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	6,11,65,00,000	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	3,40,37,94,226	24,13,18,600
कुल		30,71,91,94,000	65,73,68,291
सम्पत्तियां			
अचल संपत्तियां	8	22,17,70,28,796	21,667
निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	11	8,54,21,65,204	65,73,46,624
विविध व्यय		-	-
(जहां तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित न किया गया हो)			
कुल		30,71,91,94,000	65,73,68,291
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और खातों पर नोट्स	25		

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान
प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन:24096778BKCZBR2656

Sd/-
प्रबंधक (वित्त)
एनएबी

Sd/-
निदेशक, एमएचआई एवं
लुकिंग आफ्टर
निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी

Sd/-
सीसीए, एमएचआई एवं
लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक : 30-05-2024
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों का विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	2,40,70,10,920	-
अनुदान/सब्सिडी	13	10,55,38,32,623	56,08,940
शुल्क/सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधियों से निधियों में अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	18,13,80,909	-
अन्य आय	18	2,20,60,387	-
तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल (क)		13,16,42,84,840	56,08,940
व्यय			
स्थापना व्यय	20	69,48,00,292	4,675
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।	21	1,87,95,36,804	55,99,381
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	3,12,19,621	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल-अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	2,42,35,75,491	4,884
कुल (ख)		5,02,91,32,208	56,08,940
शेष राशि व्यय से आय का आधिक्य (क-ख)		8,13,51,52,632	-
शेष राशि अप्रयुक्त अनुदान के रूप में कार्पस फंड में ले जाई जा रही है		-	-
अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में स्थानांतरण		(3,04,57,874)	-
अनुसंधान एवं विकास आरक्षित निधि में स्थानांतरण		4,25,89,232	-
दावा न किए गए आरक्षित निधि में स्थानांतरण		6,85,690	-
शेष राशि आरक्षित एवं अधिशेष/कार्पस निधि में ले जाई गई		8,12,23,35,584	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और खातों पर नोट्स	25		

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन:24096778BKCZBR2656

Sd/-
प्रबंधक (वित्त)
एनएबी

Sd/-
निदेशक, एमएचआई एवं
लुकिंग आफ्टर
निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी

Sd/-
सीसीए, एमएचआई एवं
लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक : 30-05-2024
स्थान : नई दिल्ली



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैटिप) के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र
31 मार्च, 2022 को

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची सं	एनएबी (फेम)	नैटिप	आईकैट	जीएआरसी	नैटैक्स	नियमित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्पोस/पूँजी निधि एवं देयताएं									
कार्पोस फंड/पूँजी फंड	1		14,84,15,30,077	-	-	-	-	14,84,15,30,077	-
आरक्षित एवं अधिशेष	2		-	5,37,73,97,067	39,02,05,487	43,81,09,543	(5,46,38,675)	6,15,10,73,422	-
निधिरित निधि	3	20,62,96,275						20,62,96,275	41,60,49,691
सुरक्षित ऋण और उधार	4							-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	6,11,65,00,000	-	-	-	-	6,11,65,00,000	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6								
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	73,45,43,680	2,07,76,57,943	50,28,80,416	5,54,87,859	2,72,35,205	59,89,123	3,40,37,94,226	24,13,18,600
कुल		94,08,39,955	23,03,56,88,020	5,88,02,77,483	44,56,93,346	46,53,44,748	(4,86,49,552)	30,71,91,94,000	65,73,68,291
सम्पत्तियां									
अचाल सम्पत्तियां	8								
क) प्रशासनिक परिसंपत्तियां	8 क	17,876	1,46,63,942	1,38,15,17,861	4,37,66,787	1,48,23,236	7,89,311	1,45,55,79,013	21,667
ख) परियोजना परिसंपत्तियां	8 ख	-	19,50,84,93,786	-	-	-	-	19,50,84,93,786	-
ग) पूँजी (कार्य प्रगति पर)	8 ग	-	1,19,65,26,604	1,59,56,653	-	4,72,740	-	1,21,29,55,997	-
निवेश-निधिरित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	11	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां	11 क	-	54,26,33,402	1,36,74,39,142	6,00,14,263	17,51,43,321	(5,62,86,086)	2,08,89,44,042	-
जमा, नकदी और बैंक शेष	11 ख	94,08,22,079	1,77,33,70,286	3,11,53,63,827	34,19,12,296	27,49,05,451	68,47,223	6,45,32,21,162	65,73,46,624
कुल		94,08,39,955	23,03,56,88,020	5,88,02,77,483	44,56,93,346	46,53,44,748	(4,86,49,552)	30,71,91,94,000	65,73,68,291
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24								
आकस्मिक देयताओं और खातों पर नोट्स	25								

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डौसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

Sd/-
(सीए, सुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZBR2656

दिनांक: 30-05-2024
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
सीसीए, एमएचआई एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

Sd/-
निदेशक, एमएचआई एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी

Sd/-
प्रबंधक (वित्त)
एनएबी

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
आय एवं व्यय लेखों का विवरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का

विवरण	अनुसूची संख्या	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रक्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	(राशि ₹ में) 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आय बिक्री/सेवाओं से आय अनुदान/सब्सिडी शुल्क/सदस्यता निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधियों से निधियों में अंतरित) गैंगवली, प्रकाशन आदि से आय अर्जित व्याज अन्य आय तैयार माल और प्राप्तित कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	12	-	-	192,32,31,235	27,87,33,071	20,16,34,936	34,11,678	240,70,10,920	-
	13	1,41,54,112	10,53,89,16,764	7,61,747	-	-	-	10,55,38,32,623	56,08,940
	14	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	15,11,80,923	1,68,51,952	1,32,88,803	59,231	18,13,80,909	-
	18	-	-	2,17,68,173	94,936	1,77,676	19,602	2,20,60,387	-
	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,41,54,112	10,53,89,16,764	2,09,69,42,078	29,56,79,959	21,51,01,415	34,90,511	13,16,42,84,840	56,08,940
व्यय स्थापना व्यय अन्य प्रशासनिक व्यय आदि। अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय व्याज मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल - अनुसूची 8 के अनुरूप)	20	-	-	55,16,18,164	8,01,81,574	4,46,99,071	1,83,01,483	69,48,00,292	4,675
	21	1,41,50,322	1,22,31,73,009	47,18,64,617	10,75,07,886	5,63,67,156	64,73,814	1,87,95,36,804	55,99,381
	22	-	-	3,12,19,621	-	-	-	3,12,19,621	-
	23	3,791	2,19,46,80,146	22,02,27,211	64,75,257	20,82,280	1,06,807	2,42,35,75,491	4,884
		1,41,54,113	3,41,78,53,154	1,27,49,29,612	19,41,64,717	10,31,48,507	2,48,82,104	5,02,91,32,208	56,08,940
		-	7,12,10,63,611	82,20,12,466	10,15,15,242	11,19,52,908	(2,13,91,593)	8,13,51,52,632	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	(3,04,57,874)	-	-	-	(3,04,57,874)	-
		-	-	4,25,89,232	-	-	-	4,25,89,232	-
शेष राशि आरक्षित एवं अधिशेष/कॉर्पस निधि में ले जाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आक्रामिक देयताओं और खालों पर नोट्स	24	-	7,12,10,63,611	80,91,95,418	10,15,15,242	11,19,52,908	(2,13,91,593)	8,12,23,35,584	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खालों का एक समान प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित
डोसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

Sd/-
(सीए, मुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZBR2656
दिनांक: 30-05-2024
स्थान: नई दिल्ली

Sd/-
प्रबंधक (वित्त)
एनएबी

Sd/-
निदेशक, एमएचआई एवं लुकिंग अप्टर
निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी

Sd/-
सीसीए, एमएचआई एवं लुकिंग अप्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2022 को

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रिक्स	नियमित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 1 - कॉर्पस फंड/पूँजीगत फंड								
क) नैट्रिप परियोजना अनुदान								
भारत सरकार से अनुदान - प्रारंभिक शेष	-	2896,95,28,713	-	-	-	-	2896,95,28,713	-
जोड़ें: आय और व्यय खाते से लिया गया शेष	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रयुक्त अनुदान								
जोड़ें: आरक्षित एवं अधिशेष से स्थानांतरण	-	(1,57,69,47,232)	-	-	-	-	(1,57,69,47,232)	-
घटाएँ: आस्थगित आय (ए एस -12 के अनुसार)	-	1042,28,72,727	-	-	-	-	1042,28,72,727	-
घटाएँ: परियोजना परिसंपत्तियों की लागत एआरएआई	-	296,19,48,784	-	-	-	-	296,19,48,784	-
घटाएँ: परियोजना परिसंपत्तियों की लागत वीआरडीई	-	46,01,85,855	-	-	-	-	46,01,85,855	-
घटाएँ: भारत सरकार को अनुदान वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कुल अनुदान	-	1354,75,74,114	-	-	-	-	1354,75,74,114	-
उपयोगकर्ता शुल्क - प्रारंभिक शेष	-	50,00,00,000	-	-	-	-	50,00,00,000	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल उपयोगकर्ता अनुदान	-	50,00,00,000	-	-	-	-	50,00,00,000	-
कुल एनएबी /एनएट्रिप अनुदान	-	1404,75,74,114	-	-	-	-	1404,75,74,114	-
ख) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना हेतु निधि								
भारत सरकार से अनुदान - प्रारंभिक शेष	-	91,00,00,000	-	-	-	-	91,00,00,000	-
घटाएँ: आस्थगित आय (ए एस-12 के अनुसार)	-	11,60,44,037	-	-	-	-	11,60,44,037	-
कुल विद्युत वाहन (ईवी) अनुदान	-	79,39,55,963	-	-	-	-	79,39,55,963	-
कुल	-	1484,15,30,077	-	-	-	-	1484,15,30,077	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैटिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैटिप	आईकैट	जीएआरसी	नैटैक्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 2- आरक्षित एवं अधिशेष								
व्यय पर आय का आधिक्य/(आय पर व्यय का आधिक्य)	-							-
प्रारंभिक जमा	-	(8,69,80,10,843)	429,10,20,762	28,86,90,245	32,61,56,635	(3,32,47,083)	(3,82,53,90,283)	
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	-	712,10,63,611	80,91,95,416	10,15,15,242	11,19,52,908	(2,13,91,593)	812,23,35,584	
कम: परियोजना निधि/कार्पस निधि में स्थानांतरण	-	(1,57,69,47,232)					(1,57,69,47,232)	
			510,02,16,178	39,02,05,487	43,81,09,543	(5,46,38,675)	587,38,92,533	
संपत्ति कोष								
प्रारंभिक जमा	-	-	12	-	-	-	12	-
कम: वर्ष के दौरान उपयोग/(बनाया गया)	-	-	-	-	-	-	-	-
आर एंड डी रिजर्व फंड								
प्रारंभिक जमा	-	-	22,04,80,117	-	-	-	22,04,80,117	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाया गया	-	-	4,25,89,232	-	-	-	4,25,89,232	-
			26,30,69,349				26,30,69,349	
अप्राप्त आरक्षित निधि								
प्रारंभिक जमा	-	-	1,34,25,838	-	-	-	1,34,25,838	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाया गया	-	-	6,85,690	-	-	-	6,85,690	-
कम: वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		1,41,11,528				1,41,11,528	-
कुल	-	-	537,73,97,067	39,02,05,487	43,81,09,543	(5,46,38,675)	615,10,73,422	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को

विवरण	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	(राशि ₹ में)
अनुसूची संख्या 3- निर्धारित/बदोबस्ती निधि									
क1) डीआईडीएम फंड									
क) फंड का प्रारंभिक शेष	41,60,49,691	-	-	-	-	-	41,60,49,691	12,97,31,316	
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि									
i. दान/अनुदान	4,99,00,00,000	-	-	-	-	-	4,99,00,00,000	1,49,00,00,000	
ii. निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-	-	-	
iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	
ग) अनुदान की वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-	
घ) उपलब्ध निधि का देय प्रत्यावर्तन	-	-	-	-	-	-	-	6,76,94,500	
कुल (क1)	5,40,60,49,691	-	-	-	-	-	5,40,60,49,691	1,55,20,36,816	
ख1) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय									
I. पूंजीगत व्यय									
-अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	
-अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. राजस्व व्यय									
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।	-	-	-	-	-	-	-	-	
किराया	-	-	-	-	-	-	-	-	
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	
डीआईडीएम फंड के लिए भुगतान किया गया व्यय	4,69,58,74,886	-	-	-	-	-	4,69,58,74,886	98,65,18,843	
घटाएँ: पिछले वर्ष देय अनुदान का प्रत्यावर्तन	(21,70,09,159)	-	-	-	-	-	(21,70,09,159)	(6,75,40,877)	
डीआईडीएम फंड के लिए देय व्यय	72,08,87,689	-	-	-	-	-	72,08,87,689	21,70,09,159	
डीआईडीएम फंड प्राय का प्रत्यावर्तन							-	-	
कुल (ख1)	5,19,97,53,416	-	-	-	-	-	5,19,97,53,416	1,13,59,87,125	
कुल (क1-ख1)	20,62,96,275	-	-	-	-	-	20,62,96,275	41,60,49,691	

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैटिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फ़ॉर्म)	नैटिप	आईकैट	जीएआरसी	नैटैक्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 4- सुरक्षित ऋण और उधार								
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-
2. राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सार्वधि ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सार्वधि ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-	-	-	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूची संख्या 5-असुरक्षित ऋण और उधार								
भारत सरकार से ऋण निधि - प्रारंभिक शेष	-	594,65,00,000	-	-	-	-	594,65,00,000	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	17,00,00,000	-	-	-	-	17,00,00,000	-
- वित्तीय संस्थानों	-	-	-	-	-	-	-	-
- बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सार्वधि ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-	-	-	-	-	-	-
- डिबेंचर और बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
- सार्वधि जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	611,65,00,000	-	-	-	-	611,65,00,000	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फ़ेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रेक्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं क) पूंजी उपकरण और अन्य परिसंपत्ति के दृष्टिबंधन द्वारा सुरक्षित स्वीकृति ख) अन्य								
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूची संख्या 7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान								
7 (क) वर्तमान देयताएं								
1. स्वीकृतियां								
2. विविध ऋणदाता								
क) माल के लिए								
ख) अन्य								
3. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि		2,17,99,318	7,68,06,039	2,10,71,538	73,21,621	3,10,722	12,73,09,238	
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं			31,34,82,116	21,83,031	4,05,760	-	31,60,70,907	
क) सुरक्षित ऋण/उधार								
ख) असुरक्षित ऋण/उधार								
5. वैधानिक दायित्व								
क) अतिदेय								
ख) अन्य		1319267	1,10,58,802	52,40,115	1,06,68,609	32,014	2,83,18,808	
6. अन्य वर्तमान देयताएं								
क) देय व्यय	25,000	21,19,18,573	3,29,59,378	33,43,477	1,09,44,708	51,66,666	26,43,57,802	99,120
ख) प्रतिधारण धन		60,93,36,879			6,77,037		61,00,13,916	
ग) भारत सरकार को देय तरलता क्षति		7,30,36,097					7,30,36,097	
घ) सुरक्षा और बचाना राशि जमा सहित अन्य देयताएं		77,09,39,085	1,50,80,580	6,87,302	61,470	45,000	78,68,13,437	
ङ) अंतर शाखा शेष		1,53,52,325			(1,45,36,306)	(8,16,019)		
च) प्रदर्शन बैंक गारंटी और अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज - प्रारंभिक शेष	73,93,488	47,17,34,147	-	-	-	-	47,91,27,635	94,76,586
घटाएँ: ब्याज को भारत की समकित निधि में जमा करें	2,92,26,614	20,15,66,152	-	-	-	-	23,07,92,766	1,25,53,674
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	2,28,01,397	9,19,62,966	-	-	-	-	11,47,64,363	1,04,70,576
भारत सरकार को देय निष्पादन बैंक गारंटी और अप्रयुक्त अनुदान पर शुद्ध ब्याज - अंतिम शेष	9,68,271	36,21,30,961	-	-	-	-	36,30,99,233	73,93,488
कुल (क)	9,93,271	2,06,58,32,505	44,93,86,915	3,25,25,463	1,55,42,899	47,38,383	2,56,90,19,437	74,92,608

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रिप्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
7 (ख) प्रावधान								
1) करान के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ग्रेच्युटी	-	92,93,094	1,29,04,923	1,53,51,337	67,59,913	10,70,202	4,53,79,469	-
3) सुपरएनुएशन/पेंशन	-	-	2,15,72,092	-	-	-	2,15,72,092	-
4) संचित अवकाश नकदीकरण	-	25,29,328	1,75,97,667	76,11,059	49,32,393	1,80,538	3,28,50,985	-
5) व्यापार वारंटी/दावे	-	-	-	-	-	-	-	-
6) वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान का प्रावधान	72,08,87,689	-	-	-	-	-	72,08,87,689	21,70,09,169
कुल (ख)	72,08,87,689	1,18,22,422	5,20,74,682	2,29,62,396	1,16,92,306	12,50,740	82,06,90,235	21,70,09,159
7 (ग) अन्य परियोजना अनुदान								
क) स्थापना एवं अवसंरचना निधि								
प्रारंभिक जमा	1,68,16,833						1,68,16,833	1,24,25,773
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,00,00,000						1,00,00,000	1,00,00,000
घटाएँ: वर्ष के दौरान व्यय	1,41,54,113						1,41,54,113	56,08,940
	1,26,62,720	-	-	-	-	-	1,26,62,720	1,68,16,833
ख) एनएमईएम, एनएबी और अन्य नई पहल		3,016					3,016	
ग) डीसीसीएआई - नोडल एजेंसी फंड								
घ) आर एंड डी परियोजनाएं-प्राप्त राशि-ऑप. बैस	-		2,93,22,770				2,93,22,770	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान व्यय/अनुदान की वापसी	-		2,79,03,952				2,79,03,952	
	-	-	14,18,818	-	-	-	14,18,818	
कुल (ग)	1,26,62,720	3,016	14,18,818	-	-	-	1,40,84,554	1,68,16,833
कुल चालू देयताएं और प्रावधान (क+ख+ग)	73,45,43,680	2,07,76,57,943	50,28,80,416	5,54,87,859	2,72,35,205	59,89,123	3,40,37,94,226	24,13,18,600

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को

अनुसूची संख्या- 8/क
(राशि ₹ में)

विवरण	सकल व्यॉक					मूल्यहास				नेट व्यॉक		
	1.4.21 तक	1.10.21 से पहले के वर्ष के दौरान जोड़	1.10.21 के बाद के वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान समायोजन/ बिक्री/हस्तांतरण	31.3.22 तक	1.4.21 तक	मूल्यहास की दर	*इस वर्ष प्रदान किया गया	समायोजन/ कटौतिया	कुल 31.3.22 तक	31.3.22 तक	31.3.21 तक
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
भारत	35,94,41,680	71,46,292	4,06,525	-	36,69,94,477	6,90,66,270	10%	2,97,66,701	57,926	9,88,90,898	26,81,03,580	-
समान तथा जोड़ा गया उपकरण	8,80,17,203	13,57,555	41,61,597	4,87,888	9,30,48,467	3,58,33,125	10%	55,32,166	(1,87,087)	4,11,78,204.20	5,18,70,263	-
कार्यालय उपकरण	9,58,40,331	83,39,324	1,77,27,781	14,99,321	12,04,08,114	3,98,28,536	15%	1,09,00,869	(9,56,818)	4,97,72,587.04	7,06,35,527	26,996
कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	10,84,91,939	13,90,075	67,47,225	3,91,90,056	7,74,39,182	9,90,32,759	40%	56,30,647	(3,90,43,802)	6,56,19,603.36	1,18,19,579	6,007
एयर कंडीशनर	4,95,91,903	38,931	8,31,467	27,000	5,04,35,301	1,43,66,874	15%	53,50,656	(18,344)	1,96,99,186.49	3,07,36,115	-
वाहनों	4,54,64,206		12,39,174	-	4,67,03,380	2,45,43,360	15%	33,05,930	-	2,78,49,289.90	1,88,54,090	-
अमूर्त संपत्ति	2,81,068	-	27,075	-	3,08,143	56,214	25%	59,598	-	1,15,811.88	1,92,331	-
पौधे व यंत्र	1,69,03,05,284	2,92,20,005	7,68,04,413	10,72,750	1,79,52,56,953	67,88,24,566	15%	16,17,04,527		84,05,29,093.00	95,47,27,860	-
विद्युत स्थापना	9,60,26,176	5,34,000			9,65,60,176	3,93,37,050	15%	85,83,469		4,79,20,519.00	4,86,39,657	-
फुटकर उपकरण	6,01,807				6,01,807	6,01,807	100%	-		6,01,807.00	-	-
**पूजे आर्क्षित के अंतर्गत परिसंपत्तियां (एआरआई) - 12 / ₹ 1 प्रत्येक	12				12	-		-		-	12	-
कुल वर्ष 2021-22	253,40,61,589	4,80,26,182	10,79,45,256	4,22,77,015	264,77,56,012	100,14,90,561		23,08,34,564	(4,01,48,125)	119,21,77,000	145,55,79,014	33,003
कुल वित्तीय वर्ष 2020-21	1,17,706	-	-	-	1,17,706	91,155		4,884	-	96,039	21,667	26,551

नोट: *वर्ष के लिए मूल्यहास राशि ₹ 23,08,34,819/- में NATRAP परियोजना (प्रशासनिक) परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन के रूप में ₹ 19,39,222/-की राशि शामिल है, जो कि पूर्व-प्रचालन व्यय के अंतर्गत प्रभात है।

**उत्प्रेक्षित परिसंपत्तियां सोसायटी द्वारा एआरआई-आरसीएन के अधिग्रहण के समय निःशुल्क अधिग्रहित की गई हैं तथा प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1 दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र की अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

31 मार्च, 2022 को

अनुसूची संख्या- 8/ख

(राशि ₹ में)

प्रभाग	सकल ब्लॉक	मूल्यहास दर	समायोजन/बट्टे खाते में डालना	मूल्यहास (1.4.2005 से 31.3.22 तक की अवधि के लिए)	निवल खण्ड
नियामित, सिलचर					
भूमि (लीज होल्ड)	18,42,431	0%		-	18,42,431
भूमि (फ्री होल्ड)	1,87,68,085	0%		-	1,87,68,085
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि।	50,20,56,111	10%		32,77,50,524	17,43,05,587
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	3,11,279	40%		3,01,597	9,682
पौधे व यंत्र	10,27,11,330	15%		7,90,57,837	2,36,53,493
कुल- नियामित, सिलचर	62,56,89,236			40,71,09,958	21,85,79,278
जीएआरसी, चेन्नई					
भूमि (लीज होल्ड)	65,20,23,913	0%		-	65,20,23,913
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि।	4,66,72,58,547	10%		1,64,14,63,757	3,02,57,94,790
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	7,85,95,269	40%		7,56,69,672	29,25,597
पौधे व यंत्र	3,17,64,30,928	15%		1,49,43,40,333	1,68,20,90,595
कुल -गार्क, चेन्नई	857,43,08,657			321,14,73,762	536,28,34,895
आईकैट, मानेसर					
भूमि (फ्री होल्ड)	1,67,21,65,350	0%		-	1,67,21,65,350
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि।	2,21,83,65,015	10%		97,66,49,377	1,24,17,15,638
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	23,01,10,583	40%		22,27,07,185	74,03,398
पौधे व यंत्र	5,19,64,46,095	15%		2,90,90,05,574	2,28,74,40,521
कुल -आईकैट, मानेसर	931,70,87,043			410,83,62,136	520,87,24,907
नैट्रैक्स, इंदौर					
भूमि (लीज होल्ड)	34,90,338	0%	34,89,557	-	781
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि।	11,64,09,17,981	10%	13,61,14,916	3,63,43,89,029	7,87,04,14,036
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	1,73,60,854	40%	-	1,71,20,424	2,40,430
पौधे व यंत्र	74,86,95,643	15%	31,86,035	34,32,03,348	40,23,06,260
कुल -नैट्रैक्स, इंदौर	1241,04,64,816		14,27,90,508	399,47,12,801	827,29,61,507
एनसीवीआरएस/एडीएसी, रायबरेली					
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि।	63,12,838	10%	18,81,984	44,30,854	-
पौधे व यंत्र	1,37,46,885	15%	4,69,498	1,01,44,211	31,33,176
कुल-एनसीवीआरएस/एडीएसी, रायबरेली	2,00,59,723		23,51,482	1,45,75,065	31,33,176
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परियोजना					
पौधे व यंत्र	55,83,04,060	15%		11,60,44,037	44,22,60,023
कुल -इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परियोजना	55,83,04,060			11,60,44,037	44,22,60,023
कुल योग	3150,59,13,535		14,51,41,990	1185,22,77,759	1950,84,93,786
घटाएँ: वित्त वर्ष 2020-21 तक पहले से लगाया गया मूल्यहास				869,80,10,843	
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परियोजना परिसंपत्तियों पर लगाया गया मूल्यहास, जिसमें पूर्व अवधि भी शामिल है, ₹ 95,95,86,770/-				315,42,66,916	



भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
 31 मार्च, 2022 को

(रुपये में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रिक्स	नियमित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उप-अनुसूची 8 (ख) परियोजना परिसंपत्तियां								
क) नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियां								
आईकैट- मानेसर		520,87,24,907	-	-	-	-	520,87,24,907	-
जीएआरसी- चेन्नई		536,28,34,895	-	-	-	-	536,28,34,895	-
नियमित-सिलचर		21,85,79,278	-	-	-	-	21,85,79,278	-
नैट्रिक्स-इंदौर		827,29,61,507	-	-	-	-	827,29,61,507	-
एनसीवीआरए/एडीएसी- रायबरेली		31,33,176	-	-	-	-	31,33,176	-
ग) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परियोजना								
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधा अवसरचना		44,22,60,023	-	-	-	-	44,22,60,023	-
कुल	-	1950,84,93,786	-	-	-	-	1950,84,93,786	-
उप अनुसूची 8 (ग) प्रगति पर पूंजीगत कार्य								
क) नैट्रिप परियोजना								
एआरआई - पुणे		-	-	-	-	-	-	-
आईकैट- मानेसर		5,48,17,194	1,59,56,653	-	-	-	7,07,73,847	-
जीएआरसी- चेन्नई		104,72,16,362	-	-	-	-	1,04,72,16,362	-
नैट्रिक्स-इंदौर		5,52,46,337	-	-	4,72,740	-	5,57,19,077	-
एनसीवीआरए/एडीएसी- रायबरेली		-	-	-	-	-	-	-
नियमित-सिलचर		15,30,475	-	-	-	-	15,30,475	-
ख) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परियोजना								
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधा अवसरचना		3,77,16,236	-	-	-	-	3,77,16,236	-
कुल	-	119,65,26,604	1,59,56,653	-	4,72,740	-	121,29,55,997	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को

(रुपये में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 9- निधिति/बंदोबस्ती निधि से निवेश								
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल								
अनुसूची संख्या 10- निवेश-अन्य								
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल								

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रक्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 11- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि								
11 (क)-वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम								
स्टॉक हाथ में		-	3,20,39,011	22,28,392	-	-	3,42,67,404	-
विविध अग्रिम एवं प्राय	-	11,04,36,178	6,54,05,698	31,36,315	12,67,905	1,51,553	18,03,97,649	-
विविध देनदार								
क) छह महीने से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	-	1,17,05,818	91,51,471	83,29,698	-	2,91,86,987	-
ख) अन्य	-	-	41,01,46,759	8,09,36,206	11,37,07,570	10,12,880	60,58,03,415	-
स्रोत प्राय पर कर कटौती	-	7,10,69,331	79,67,64,979	7,41,42,033	4,72,50,440	2,92,070	98,95,18,854	-
एफडीआर और अन्य पर अर्जित व्याज	-	3,77,39,986	8,32,07,324	1,52,67,155	54,148	-	13,62,68,613	-
इनपुट जीएसटी प्राय	-	-	1,58,70,231	35,37,475	-	4,23,490	1,98,31,196	-
प्रीपेड खर्च	-	16,85,521	64,40,976	1,01,61,715	47,10,675	3,85,200	2,33,84,087	-
मोबिलाइजेशन एडवांस	-	2,95,61,666	-	-	-	-	2,95,61,666	-
अंतर शाखा शेष	-	26,47,17,252	(6,55,35,637)	(14,04,53,221)	(1,77,116)	(5,85,51,279)	-	-
सुरक्षा जमा	-	2,74,23,468	1,13,93,983	19,06,722	-	-	4,07,24,173	-
कुल (क)	-	54,26,33,402	1,36,74,39,142	6,00,14,263	17,51,43,321	(5,62,86,086)	2,08,89,44,043	-
11 (ख)-जमा, नकदी और बैंक शेष								
अनुसूचित बैंक में शेष राशि								
क) चालू खाता		4,37,71,765	81,36,787	1,08,594	-	-	5,66,43,223	-
ख) बचत खाता	94,08,22,079	29,71,67,140	88,98,022	1,01,03,702	41,13,097	22,21,146	126,33,25,186	65,73,23,754
ग) सावधि जमा		143,24,31,381	309,82,85,048	33,17,00,000	26,38,89,982	-	512,63,06,410	-
नकदी शेष	-	-	43,970	-	-	-	43,970	22,870
अन्य जमा					69,02,372		69,02,372	-
कुल (ख)	94,08,22,079	1,77,33,70,286	3,11,53,63,827	34,19,12,296	27,49,05,451	68,47,223	6,45,32,21,162	65,73,46,624
कुल (क+ख)	94,08,22,079	2,31,60,03,688	4,48,28,02,969	40,19,26,559	45,00,48,772	(4,94,38,863)	8,54,21,65,204	65,73,46,624

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का

(रुपय में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैटव्स	नियमित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 12- बिक्री/सेवाओं से आय								
1. बिक्री से आय	-	-	-	-	-	-	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्कैप की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	-	-	-
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) परीक्षण सेवाओं से आय	-	-	2,25,23,07,635	32,64,34,849	23,47,39,117	35,52,087	2,81,70,33,688	-
कम: धुगतान किया गया जीएसटी	-	-	32,90,76,400	4,77,01,778	3,31,04,181	1,40,409	41,00,22,768	-
कुल	-	-	1,92,32,31,235	27,87,33,071	20,16,34,936	34,11,678	2,40,70,10,920	-
अनुसूची संख्या 13- अनुदान/सब्सिडी								
1. केन्द्र सरकार	-	-	7,61,747	-	-	-	7,61,747	-
2. राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सरकारी एजेंसियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
4. संस्थाएं/कल्याणकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-	-	-	-	-	-	-
6) आस्थगित अनुदान (एएस-12 के अनुसार)	1,41,54,112	10,53,89,16,764	-	-	-	-	10,55,30,70,876	56,08,940
कुल	1,41,54,112	10,53,89,16,764	7,61,747	-	-	-	10,55,38,32,623	56,08,940

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का

(रुपय में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैट्रक्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 14- शुल्क/सदस्यता								
1. प्रवेश शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
5. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूची संख्या 15- निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधि से निधियों में स्थानांतरित)								
1) ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य बैंड/डिबेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-
2) लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-	-	-	-	-
4) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का

(रुपये में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैटव्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय								
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूची संख्या 17- अर्जित व्याज								
1) सार्वजनिक जमा								
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	14,56,40,878	1,63,45,017	1,25,99,964		17,45,85,859	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-	-		-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-	-	-	-		-	-
घ) अन्य	-	-	-	-	2,33,715		2,33,715	-
2) बचत खाते पर								
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	42,86,675	5,06,935	4,55,124	59,231	53,07,965	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-	-		-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-	-	-	-		-	-
घ) अन्य	-	-	-	-	-		-	-
3. ऋण पर								
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-	12,53,370	-	-		12,53,370	-
ख) अन्य	-	-	-	-	-		-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य पर व्याज	-	-	-	-	-		-	-
5. आयकर रिफंड पर व्याज	-	-	-	-	-		-	-
कुल	-	-	15,11,80,923	1,68,51,952	1,32,88,803	59,231	18,13,80,909	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैटव्स	नियामित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 18- अन्य आय								
1) परिसंपत्तियों की विक्री/निपटान पर लाभ								
क) स्वामित्व वाली संपत्ति			17,160				17,160	-
ख) अनुदान से प्राप्त संपत्तियां, या निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
4. विविध आय	-	-	-	-	-	-	-	-
क) विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) विविध आय			1,85,21,923	94,936	1,77,676	19,602	1,88,14,137	-
ग) पूर्व अवधि की आय			32,29,090				32,29,090	-
कुल			2,17,68,173	94,936	1,77,676	19,602	2,20,60,387	
अनुसूची संख्या 19- तैयार माल और प्रगति कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)								
1) अंतिम स्टॉक								
क) तैयार माल	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-
2. कम प्रारंभिक स्टॉक								
क) तैयार माल	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल								
अनुसूची संख्या 20- स्थापना व्यय								
क) वेतन एवं मजदूरी			43,02,03,733	5,46,40,205	3,28,03,033	1,59,27,572	53,35,74,543	-
ख) भूत और बोनस			-	56,59,094	24,98,836		81,57,930	
ग) भविष्य निधि में योगदान			2,51,04,119	53,96,514	62,53,261	21,89,098	3,89,42,992	
घ) अन्य निधि में योगदान						12,344	12,344	
ङ) कर्मचारी कल्याण निधि			3,07,89,427	58,42,092	12,70,802	1,72,469	3,80,74,790	
च) कर्मचारियों की सेवाविवृति और समाप्ति लाभ पर व्यय			5,20,74,682	69,53,372	23,381	-	5,90,51,435	
छ) अन्य			1,34,46,203	16,90,297	18,49,758		1,69,86,258	4,675
कुल			55,16,18,164	8,01,81,574	4,46,99,071	1,83,01,483	69,48,00,292	4,675

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का

(रुपये में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जीएआरसी	नैटव्स	नियमित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 21- अन्य प्रशासनिक व्यय								
क) खरीदारी			3,14,25,263			-	-	-
ख) श्रम और प्रसंस्करण व्यय				7,35,679			3,14,25,263	
ग) कारतूस और गाड़ी अंदर की ओर			11,45,47,654	4,17,20,089	70,21,209	14,12,056	7,35,679	
घ) बिजली और ऊर्जा			53,709	11,10,500	-		16,47,01,008	
ङ) जल आवेशित							11,64,209	
च) बीमा			81,28,168	39,40,782	5,65,619	5,44,990	1,31,79,559	
छ) मरम्मत और रखरखाव			7,46,26,391	2,27,33,074	69,83,490	56,647	10,43,99,602	
ज) उत्पाद शुल्क							-	
झ) किराया, दरें और कर			1,24,66,903		1,81,500	8,56,313	1,35,04,716	
ञ) वाहन चलाना और रखरखाव			6,66,849	2,10,054	10,77,313	5,14,050	24,68,266	5,04,000
ट) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क			38,51,620	8,52,492	3,53,607	14,356	50,72,075	
ठ) प्रिंटिंग और स्टेशनरी			17,32,096	10,12,659	1,41,802	36,705	29,23,261	
ड) यात्रा एवं वाहन शुल्क			1,71,37,041	2,77,013	29,89,481	1,02,507	2,05,06,043	
ढ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय	1,15,22,000			12,38,582	7,16,593		1,34,77,175	4,95,600
ण) सदस्यता व्यय			7,18,036	38,257			7,56,293	
त) फीस पर खर्च							-	33,040
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक							-	6,00,000
द) अतिथि व्यय			36,70,329				36,70,329	
ध) व्यावसायिक प्रभार			2,41,95,330	5,43,608	15,07,612	1,30,275	2,64,03,695	29,48,118
न) खराब और सदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान						2,07,680		
प) वसूली न की जा सकने वाली शेष राशि को बट्टे	26,870							
खाते में डाल दिया गया							-	
फ) पैकिंग शुल्क			33,54,103				-	
ब) माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय			20,13,851				33,54,103	
भ) विज्ञापन							36,51,651	
म) बैंक शुल्क	3		21,112	55,950	18,585	2,356	98,006	283

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का

											(रुपये में)
य) जनशक्ति सेवाएं											
र) अन्य प्रशासनिक व्यय											
ल) वेबसाइट और सॉफ्टवेयर खर्च											
व) परीक्षण व्यय एवं उपभोग्य वस्तुएं											
श) पूर्व अवधि व्यय											
ष) परियोजना परिसंपत्तियों पर पूर्व अवधि मूल्यहास	1,41,600										
स) क्लाउड स्टोरेज व्यय	24,59,849										
व्यय बड़े खाते में डाला गया											
एनसीवीआरएस के लिए यूपीएसआईडीसी, फैजाबाद को											
अग्रिम राशि बड़े खाते में डाल दी गई है											
बड़े खाते में डाला गया - परिचालन-पूर्व व्यय											
(एनसीवीआरएस/एडीएसी- रायबरेली)											
बड़े खाते में डाला गया- परियोजना परिसंपत्तियां											
एनसीवीआरएस/एडीएसी- रायबरेली											
बड़े खाते में डाला गया - परियोजना परिसंपत्तियां											
नैट्रिक्स											
कुल	1,41,50,322	1,22,31,73,009	47,18,64,617	10,75,07,886	5,63,67,156	64,73,814	1,87,95,36,804	55,99,381			
अनुसूची संख्या 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय											
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान											
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी											
ग) अनुसंधान एवं विकास अनुदान/सरकारी अनुदान से व्यय											
कुल											
अनुसूची संख्या 23- ब्याज											
क) निश्चित ऋण पर											
ख) अन्य ऋण पर (बैंक शुल्क सहित)											
ग) अन्य											
कुल											

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा

31 मार्च, 2022 को

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
क) उपलब्ध शेष			अप्रत्यक्ष व्यय एवं देय व्यय		
एनएबी - फेम	22,870	22,870	एनएबी - फेम	469,85,77,328	99,59,89,775
नैट्रिप	-		नैट्रिप	3,71,93,716	
आईकैट	22,986		आईकैट	52,32,49,421	
जी.ए.आर.सी.	-		जी.ए.आर.सी.	5,08,43,155	
नैट्रेक्स	-		नैट्रेक्स	9,50,62,827	
नियामित	11,799		नियामित	11,780	
बी) बैंक खाते					
एनएबी - फेम	65,73,23,754	22,30,91,127			
नैट्रिप	40,94,19,576		II. निधियों के वि. छ. किए गए भुगतान		
आईकैट	16,67,40,786		(निधि या परियोजना का नाम तथा प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान का विवरण दिया जाना चाहिए)		
जी.ए.आर.सी.	1,23,13,145		क) भारत सरकार से-आईकैट	1,50,37,775	
नैट्रेक्स	1,52,77,147				
नियामित	48,52,102				
II. प्राप्त अनुदान			III. निवेश और जमा		
क) भारत सरकार से			क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि में से		
एनएबी - फेम	500,00,00,000	150,00,00,000	ख) स्वयं के धन से (निवेश-अन्य)		
नैट्रिप-लोन फंड	17,00,00,000		आईकैट	251,32,90,966	
ख) राज्य सरकार से			जी.ए.आर.सी.	19,30,00,000	
ग) अन्य स्रोतों से			नैट्रेक्स	6,93,32,365	
III. निवेश पर आय			IV). अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय		
क) निर्धारित/अनुदानित निधि			क) अचल संपत्तियों की खरीद		
ख) स्वयं के फंड (अन्य निवेश)			ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य पर व्यय		
IV. प्राप्त व्याज			नैट्रिप	-	
क) बैंक/सावधि जमा पर			आईकैट	43,186	
एनएबी - फेम	2,28,01,397	1,04,70,576	देय खाते - नैट्रिप	39,84,70,360	
नैट्रिप	1,72,75,621				
आईकैट	16,48,40,682				
जी.ए.आर.सी.	1,20,36,812				
नैट्रेक्स	15,21,808				
नियामित	59,231				
ख) ऋण, अग्रिम आदि	42,30,261				
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
शुद्ध अन्य प्राप्ति			क) भारत सरकार को		
नैट्रिप	44,093		एनएबी - फेम	1,15,22,000	6,76,94,500
आईकैट	4,82,89,478		नैट्रिप	1,47,04,920	
जी.ए.आर.सी.	8,140		ख) राज्य सरकार को	-	
नैट्रेक्स	2,73,250		ग) अन्य निधि प्रदाता को		
नियामित	65,90,028		आईकैट	1,50,68,268	
VI. उधार ली गई राशि			VI. वित्त प्रभार (व्याज)		
			भारत की समेकित निधि-फेम में जमा	2,92,26,614	1,25,53,674
VIII. कोई अन्य रसीदें (विवरण दें)			भारत की समेकित निधि में जमा- नैट्रिप	20,15,66,152	
सावधि जमा			नैट्रिप (आईकैट) को धन वापसी	8,69,533	
नैट्रिप	38,42,90,555		VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
जी.ए.आर.सी.	12,00,00,000		अवधारण/ईएमडी/पीबीजी		
नैट्रेक्स	5,95,44,926		नैट्रिप	6,99,264	
			आईकैट	1,77,14,044	
			नैट्रेक्स	1,54,247	



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

आईकैट	145,75,93,920				
प्राधिकरण/विक्रेता/अग्रिम से प्राप्तियां			शुल्क और कर		
नैट्रिप	11,94,77,870		नैट्रिप	1,50,99,873	
जी.ए.आर.सी.	1,12,084		आईकैट	38,95,90,410	
नैट्रेक्स	37,106		जी.ए.आर.सी.	71,22,753	
नियामित	1,44,141		नैट्रेक्स	2,93,68,424	
आईकैट	3,84,80,752		नियामित	-	
मोबिलाइजेशन एडवांस की वसूली			सुरक्षा जमा (देयता) - आईकैट	-	
नैट्रिप	6,38,636		सुरक्षा जमा (देयता) - जी.ए.आर.सी.	3,72,600	
अवधारण/ईएमडी/पीबीजी					
नैट्रिप	2,02,155		विविध लेनदार		
नैट्रेक्स	37,150		आईकैट	70,51,61,749	
आईकैट	2667619		जी.ए.आर.सी.	11,86,40,621	
विविध देनदार			नैट्रेक्स	7,38,37,507	
नैट्रिप			नियामित	61,75,607	
आईकैट	242,57,11,105		प्राधिकरण के पास जमा-नैट्रिप (टीडीएस प्राप्य)	6,25,520	
जी.ए.आर.सी.	28,93,68,615		वर्तमान परिसंपत्तियां/अग्रिम		
नैट्रेक्स	17,78,42,464		सुरक्षा जमा (संपत्ति)-आईसीएटी	2,48,268	
नियामित	13,85,497		सुरक्षा जमा (संपत्ति)-जीएआरसी	2,01,27,142	
सुरक्षा जमा (संपत्ति)			एडवांस-आईकैट	4,11,65,913	
नैट्रिप	84,906		एडवांस-नैट्रेक्स	2,69,834	
नैट्रेक्स	-		एडवांस-जीएआरसी	2,52,71,479	
जी.ए.आर.सी.	-		एडवांस-नियामित	8,188	
अंतर शाखा			पूँजीगत व्यय-नैट्रिप (अप्रत्यक्ष व्यय)	9,63,64,962	
नैट्रिप-नैट्रेक्स	1,82,24,905		नैट्रिप- जीएआरसी	82,48,751	
			देनदारों को धन वापसी-नैट्रेक्स	6,20,456	
			देनदारों को धन वापसी-आईकैट	6,58,29,016	
			VIII. अंतिम शेष		
			क) उपलब्ध शेष		
			एनएबी -फेम	-	22,870
			नैट्रिप	-	
			आईकैट	43,970	
			जीएआरसी	-	
			नैट्रेक्स	-	
			नियामित	-	
			ख) बैंक खाते		
			एनएबी -फेम	94,08,22,079	65,73,23,754
			नैट्रिप	34,09,38,905	
			आईकैट	1,70,34,809	
			जीएआरसी	1,02,12,295	
			नैट्रेक्स	41,13,097	
			नियामित	68,47,224	
कुल	1180,97,99,373	173,35,84,573	कुल	1180,97,99,373	173,35,84,573

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन:24096778BKZBR2656

Sd/-
प्रबंधक (वित्त)
एनएबी

Sd/-
निदेशक, एमएचआई एवं
लुकिंग आफ्टर
निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी

Sd/-
सीसीए, एमएचआई एवं
लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक : 30-05-2024
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

अनुसूची संख्या-24

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) एक स्वायत्त निकाय है जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त, 2013 को पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013 के तहत सोसायटी के रूप में शामिल किया गया है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में लॉन्च की गई फेम योजना का संचालन और निगरानी करना है।

नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) भी एक स्वायत्त निकाय है जिसे राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मई, 2005 को पंजीकरण संख्या एस/53310 के माध्यम से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में शामिल किया गया था। नैट्रिप को 13 जुलाई 2005 को भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। शुरू में परियोजना लागत ₹ 1718.00 करोड़ स्वीकृत की गई थी और जुलाई, 2016 में इसे संशोधित कर ₹ 3,727.30 करोड़ कर दिया गया। नैटिस का विस्तारित कार्यकाल 31 मार्च, 2021 को पूरा हो गया है, जिसमें कुल परियोजना व्यय ₹ 3558.60 करोड़ है।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 17 मार्च, 2021 के पत्र के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैट्रिप के सभी प्रभागों सहित) का अधिग्रहण करेगा। एकीकरण योजना के अनुसार अधिग्रहण 01.04.2021 'नियत तिथि के रूप में संदर्भित' से प्रभावी होना है। तदनुसार, एनएबी द्वारा नैटिस की गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया और आगे का लेखा-जोखा एनएबी की लेखा पुस्तकों में पहले की तरह ही रखा गया है।

योजना के अनुसार, नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को 'हस्तांतरक सोसायटी के रूप में संदर्भित' राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड एनएबी द्वारा 'हस्तांतरित सोसायटी के रूप में संदर्भित' उनके लेखापरीक्षित खातों के अनुसार 31.03.2021 तक उनके बुक वैल्यू पर ले लिया गया है। इस संबंध में, दोनों सोसायटियों की 02.11.2022 को आयोजित गवर्निंग काउंसिल मीटिंग और वार्षिक आम बैठक में समामेलन योजना तैयार की गई और विधिवत अनुमोदित की गई। योजना के अनुसार, सभी वैधानिक विभागों, वैधानिक पंजीकरण में संशोधन, बैंक खातों, मौजूदा चल रहे अनुबंधों, समझौतों और सोसायटी के अन्य संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

2. लेखांकन की विधि

सोसायटी ने लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन किया है। ये वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

एनएबी ने 01.04.2021 को अपने संबंधित बही मूल्य पर सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ-साथ अपने केंद्रों सहित नैटिस की चल रही गतिविधियों को अपने हाथ में ले लिया है, हालांकि विभिन्न परिसंपत्तियों, बैंक खातों और वैधानिक पंजीकरणों का शीर्षक नैटिस के नाम पर जारी है और चूंकि नियुक्त तिथि 01.04.2021 है, इसलिए सभी संबंधित लागत और आय को एनएबी की आय और व्यय के रूप में माना जाता है, जो सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के बाद सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का अंतिम लाभार्थी और मालिक है।

टीडीएस, जीएसटी, आयकर और भविष्य निधि आदि से संबंधित सभी वैधानिक देनदारियां नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) के नाम पर खर्च और जमा की जाती रहें।

31.03.2022 तक सभी बकाया परिसंपत्तियां और देनदारियां उनके संबंधित बही मूल्य पर पुनरीक्षण योग्य हैं, ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ जो परिसंपत्तियों में हानि का संकेत देता हो, सिवाय अन्यथा गए।

3. अचल संपत्तियां

- सोसायटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों का विवरण उनके अधिग्रहण की लागत में माल दुलाई सहित दर्शाया गया है। अधिग्रहण से संबंधित शुल्क, कर और अन्य प्रत्यक्ष व्यय, जो परिसंपत्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील बनाने हेतु किए जाते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 तक अप्रत्यक्ष (प्री-ऑपरेटिव) व्यय जो सीधे अचल संपत्तियों से संबंधित नहीं थे, उन्हें संचित किया गया और प्री-ऑपरेटिव व्यय शीर्ष के तहत अलग से दिखाया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2021-22 से, 31.03.2021 तक संचित और चालू वर्ष के दौरान किए गए अप्रत्यक्ष (प्री-ऑपरेटिव) व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों की मूल लागत के अनुपात में नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों की लागत के साथ पूंजीकृत किया गया है।
- निर्माण और अधिग्रहण के दौरान अर्जित परिसंपत्तियों को संचित किया जाता है और बैलेंस शीट की तिथि पर उनकी पूर्णता की स्थिति के अनुसार पूर्ण या चालू कार्य (प्रगति पर कार्य) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदे गए उपकरणों का लेखा संबंधित केंद्रों की लेखा पुस्तकों में उस विशिष्ट अनुदान के उपयोग के अंतर्गत किया गया है। इन परिसंपत्तियों को सोसायटी की अचल परिसंपत्तियों में नहीं दिखाया गया है।
- अचल परिसंपत्तियों के निपटान के समय, परिसंपत्ति का लिखित मूल्य कम कर दिया जाता है तथा शेष राशि को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

4. मूल्यहास

क) अचल संपत्तियों पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर लिखित आधार पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

ख) नैट्रिप के अंतर्गत अपने केन्द्र में निर्मित परिसंपत्ति पर मूल्यहास तब लगाया जाएगा जब परिसंपत्तियां (प्रयोगशाला/सुविधा में उपकरण, जिनमें भवन, उपयोगिताएं शामिल हैं) प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होंगी तथा उस लागत पर मूल्यहास लगाया जाएगा जो सीधे तौर पर परिसंपत्तियों को आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार होगी।

ग) सरकारी अनुदान से सृजित परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यहास की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और इसे लेखांकन मानक-12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण पद्धति का पालन करते हुए आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

5. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का लेखा ऐसे लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। बैलेंस शीट की तिथि पर विदेशी मुद्रा में बकाया परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट की समापन तिथि पर प्रचलित दर पर बहाल किया गया है। पूंजीगत मद खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव को संबंधित परिसंपत्तियों के मूल्य में पूंजीकृत किया जाता है और राजस्व मदों से संबंधित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव को आय और व्यय खाते में चार्ज किया जाता है।

6. कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस का हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है। इसके अलावा, भविष्य निधि और ईएसआई जैसे अन्य परिभाषित अंशदान लाभ उपार्जन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी जैसी परिभाषित अंशदान लाभ योजनाओं के प्रति देयता एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की जाती है और कर्मचारी को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया जाता है और इस धारणा पर गणना की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। आईकैट के मामले में, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयताओं को भारतीय जीवन बीमा

निगम (एलआईसी) से ली गई पॉलिसी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। नैट्रैक्स के मामले में, ग्रेच्युटी को भी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ली गई पॉलिसी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। अन्य केंद्रों में, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान पहले से बनाए गए प्रावधानों में से देय तिथि पर किया जाता है।

7. सरकारी अनुदान

- नैट्रिप परियोजनाओं के लिए पूंजी प्राप्तियों की प्रकृति में सरकारी अनुदानों को परियोजना/कॉर्पस निधि के रूप में दर्ज किया जाता है। चालू वर्ष से, पूंजी दृष्टिकोण के तहत लेखांकन मानक -12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार 'मूल्यहास' योग्य परिसंपत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को लगाए गए मूल्यहास की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।
- फेम योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास तथा मांग प्रोत्साहन (डीआईडीएम) के लिए सरकारी अनुदान निर्धारित निधि के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। इन अनुदानों से संबंधित व्यय, चाहे भुगतान किया गया हो या देय हो, का भी निर्धारित निधि के अंतर्गत हिसाब लगाया जाता है। मांग प्रोत्साहन के लिए अनुदान को वर्ष के दौरान दर्ज किए गए दावे और भुगतान किए गए दावे के लिए किए गए प्रावधान की सीमा तक प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है।
- प्रशासनिक व्यय यानी स्थापना और अवसंरचना निधि के लिए फेम योजना के तहत सरकारी अनुदान को 'अन्य परियोजना अनुदान' शीर्षक के तहत दिखाया गया है और ऐसे अनुदान के अप्रयुक्त शेष को चालू देयता के रूप में माना गया है। इन अनुदानों के विरुद्ध व्यय को लेखांकन मानक -12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण के तहत 'मूल्यहास' योग्य परिसंपत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को वर्ष के दौरान किए गए व्यय की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अन्य केंद्र विशिष्ट सरकारी अनुदानों को परियोजना विशिष्ट अनुदानों के अंतर्गत दिखाया गया है तथा ऐसे अनुदानों की अप्रयुक्त शेष राशि को चालू देयता माना गया है। राजस्व अनुदानों के मामले में, इसे आय एवं व्यय खाते से वसूला गया है।

8. आय मान्यता

- परिचालन केंद्रों पर राजस्व वाहनों के परीक्षण की सेवाओं की प्रकृति में है, तथा जब पूर्ण सेवाएं पूरी हो जाती हैं, तो उसे मान्यता दे दी जाती है।
- परियोजना निधि/सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को वापस किया जाता है तथा इसे चालू देयता के रूप में दर्शाया जाता है। केंद्रों के अधिशेष राजस्व के निवेश पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में माना जाता है।
- संबंधित केंद्रों के लिए खराब ऋणों का प्रावधान किया गया है, जहां वसूली की संभावना नगण्य है तथा लंबे समय में वसूली संभव नहीं है।

9. इन्वेंटरी

केंद्रों पर रखे गए स्टॉक में एचएसडी, संदर्भ ईंधन आदि का स्टॉक शामिल होता है और इसका मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

10. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत धारा 12ए के तहत सोसायटी पंजीकृत है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर। इससे पहले, नैटिस भी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत धारा 12ए के तहत पंजीकृत था और आयकर के लिए उत्तरदायी नहीं था। एनएबी के साथ समामेलन के बाद, धारा 12ए पंजीकरण 11.08.2022 को एनएबी के पक्ष में जारी किया गया है जो आकलन वर्ष 2023-24 के लिए लागू है। चूंकि नैटिस के सभी वैधानिक पंजीकरण 31.03.2022 के बाद एनएबी के पक्ष में स्थानांतरित किए जा रहे हैं, इसलिए आयकर रिटर्न नैटिस के पीएन के तहत दाखिल किया जाता है और तदनुसार, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

11. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान

भविष्य की घटना के आधार पर देयताएं घटित हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान के आधार पर सभी ज्ञात देयताओं और हानियों के लिए प्रावधानों का लेखा-जोखा किया जाता है।

12. पूर्व अवधि आइटम

एक या एक से अधिक अवधि से संबंधित पूर्व अवधि की मदों का लेखा किया जाता है, चाहे वे आय हों या व्यय, जो लेखांकन उपचार, त्रुटियों या चूक में सुधार के परिणाम स्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होती हैं।

13. समामेलन

दोनों सोसाइटियों की 2 नवंबर 2022 को आयोजित शासी परिषद की बैठक और वार्षिक आम बैठक में विधिवत अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार, उपक्रम की सभी संपत्तियां और देनदारियां, जो नियत तारीख से तुरंत पहले की तारीख को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हस्तांतरणकर्ता सोसायटी के समापन बैलेंस शीट में निर्धारित हैं, नियत तारीख को हस्तांतरणकर्ता सोसायटी के खाते की पुस्तकों में दिखाई देने वाले पुस्तक मूल्यों पर स्थानांतरित की जाएंगी।

अनुसूची संख्या- 25

आकस्मिक देयताओं और खातों पर नोट्स

1. 01.04.2021 तक, नियत तिथि से ठीक पहले की तारीख को नैट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को हस्तांतरणकर्ता सोसाइटी के 31.03.2021 तक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित पुस्तक मूल्यों पर सोसाइटी पुस्तकों में दर्ज किया गया है।

2. नैट्रिप परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना स्थल पर भूमि का स्वामित्व भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के पास है, क्योंकि भूमि के लिए भुगतान नैट्रिप द्वारा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से किया जाता है। 31.03.2022 तक, नैट्रिप ने भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के विरुद्ध विभिन्न केंद्रों पर ₹ 2896.95 करोड़ की अनुदान सहायता, ₹ 611.65 करोड़ के ऋण और ₹ 50 करोड़ के उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में ₹ 3552.85 करोड़ की परियोजना परिसंपत्तियां बनाई हैं।

क. नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत भूमि का विवरण निम्नानुसार है

क्र.स.	जगह का नाम	क्षेत्र	फ्री होल्ड	लीज होल्ड	व्यवसाय की स्थिति
			मूल्य करोड़ ₹ में		
1	आईकैट-I	8 एकड़	11.20	-	आईकैट द्वारा पूर्णतः कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
2	आईकैट-II	46.9 एकड़	156.02	-	आईकैट द्वारा पूर्णतः कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
3	नेट्रैक्स	2960 एकड़		0.00008	नेट्रैक्स द्वारा पूर्णतः कब्जा किया गया, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं
4	जीएआरसी	304 एकड़		65.20	पूरी तरह से जीएआरसी के कब्जे में, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं
5	नियामित साइट-I-ढोलचेर	65.123 एकड़		0.18	सिलचर पर पूर्ण रूप से कब्जा है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है
6	नियामित साइट-II-जाफिरबाँड	19.504 एकड़	1.88		सिलचर पर पूर्ण रूप से कब्जा है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है
संपूर्ण			169.10	65.38	

(ख) 31.3.2022 तक नैट्रिप परियोजना के तहत बनाई गई केंद्रवार परियोजना परिसंपत्तियां निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ में)

क्र.स.	केंद्र का नाम	31.03.2022 तक निर्मित परियोजना परिसंपत्तियाँ (सकल मूल्य करोड़ ₹. में)
1	आईकैट	937.19
2	जीएआरसी	962.15
3	नैट्राक्स	1246.57
4	नियामित	62.72
5	एनसीवीआरएस/एडीएसी *	2.01
6	एआरएआई **	296.19
7	वीआरडीई **	46.02
	कुल	3552.85

* आर्थिक मामलों की मंत्रि मंडलीय समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार एनसीवीआरएस केंद्र में परिकल्पित सुविधाओं को अन्य केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया।

** ऐसी परिसंपत्तियों की सीमा तक की राशि को कॉर्पस फंड और परियोजना परिसंपत्तियों से घटा दिया गया है, क्योंकि नियंत्रण और निगरानी पहले ही ऐसे केंद्र को हस्तांतरित कर दी गई है।

3. नैट्रिप परियोजना पूरी हो चुकी है और भारत सरकार से 31.03.2022 तक ₹ 3,558.60 करोड़ की कुल लागत प्राप्त हुई है। इसमें से ₹ 2896.95 करोड़ अनुदान सहायता के रूप में, ₹ 611.65 करोड़ ऋण के रूप में और ₹ 50 करोड़ रुपये उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में हैं।

सीसीईए की मंजूरी के अनुसार ऋण निधि ब्याज मुक्त है और इसे सात साल की स्थगन अवधि के बाद आठ समान किस्तों में चुकाया जाना है। ऋण की पहली किस्त का भुगतान वर्ष 2025 से शुरू किया जाएगा।

4. भारी उद्योग मंत्रालय ने “इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना” के लिए कुल ₹ 95 करोड़ (सरकारी निधि से ₹ 73 करोड़ और स्वयं के कोष से ₹ 22 करोड़) की परियोजना को मंजूरी दी है। नैट्रिप को भारी उद्योग मंत्रालय से ₹ 73 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है और परियोजना की संभावित पूर्णता लागत ₹ 87.41 करोड़ होने पर विचार करते हुए केंद्रों को उसी अनुपात में स्वयं के कोष के हिस्से के रूप में ₹ 18 करोड़ आवंटित किए हैं।

5. i. 31.03.2021 तक, संचित मूल्यहास ₹ 869.80 करोड़ था, जिसे देनदारियों के पक्ष में परियोजना पर संचित संचयी मूल्यहास के तहत दिखाया जा रहा था और अचल संपत्तियों को इसके सकल मूल्य पर बताया जा रहा था। चालू वित्त वर्ष से इस संचित मूल्यहास को संबंधित अचल संपत्तियों के साथ शुद्ध कर दिया गया है और 31.03.2022 को चालू वर्ष के 315.43 करोड़ के मूल्यहास के बाद शुद्ध अचल संपत्तियों को दिखाया जा रहा है।

ii. वित्तीय वर्ष 2020-21 तक अचल संपत्तियों से सीधे संबंधित न होने वाले अप्रत्यक्ष (प्री-ऑपरेटिव) व्यय ₹ 311.17 करोड़ तक संचित हुए और उन्हें प्री-ऑपरेटिव व्यय शीर्ष के अंतर्गत अलग से दिखाया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी, 31.03.2021 तक संचित अप्रत्यक्ष (प्री-ऑपरेटिव) व्यय ₹ 306.66 करोड़ थे और चालू वर्ष के दौरान



₹ 9.99 करोड़ खर्च हुए, जिन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की मूल लागत के अनुपात में नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों की लागत के साथ पूंजीकृत किया गया है। तदनुसार, ऐसे प्री-ऑपरेटिव व्ययों पर ₹ 95.96 करोड़ की पूर्व अवधि मूल्यहास राशि की गणना की गई है, जिसे चालू वर्ष के आय और व्यय खाते में चार्ज किया गया है।

iii. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सोसायटी ने लेखा मानकों (एएस-12) के तहत निर्धारित पूंजी दृष्टिकोण पद्धति का पालन किया है और तदनुसार 31.03.2021 तक ₹ 869.80 करोड़ का संचित मूल्यहास और पूर्व अवधि मूल्यहास सहित चालू वर्ष का ₹ 315.43 करोड़ का मूल्यहास ₹ 1,053.89 करोड़ की आस्थगित आय के रूप में माना गया है, जिसे चालू वर्ष के आय और व्यय खाते में जमा किया गया है और सरकारी अनुदान से घटाया गया है। यदि इस लेखा पद्धति में परिवर्तन नहीं किया गया होता तो सोसायटी का अधिशेष ₹ 1,053.89 करोड़ कम होता।

6. सोसायटी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनसीवीआरएस केंद्र के लिए भूमि खरीदने के लिए यूपीएसआईडीसी को ₹ 43,84,61,926 की राशि का भुगतान किया था, परियोजना परिसंपत्तियों के लिए ₹ 2,00,59,723 की राशि और पूर्व परिचालन व्यय के अंतर्गत ₹ 4,51,49,983 की राशि खर्च की गई थी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 36,51,67,661 वापस प्राप्त हुए हैं। शेष ₹ 7,32,94,265 यूपीएसआईडीसी फैजाबाद को अग्रिम और प्राप्य शीर्षक के अंतर्गत अग्रिम के रूप में दिखाए गए थे। इसके अलावा, 27 जुलाई 2016 की अपनी बैठक में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, एनसीवीआरएस केंद्र में परिकल्पित सुविधाओं को अन्य केंद्र में समायोजित किया गया था ₹ 7,32,94,265/- प्राप्य नहीं है, तदनुसार ₹ 7,32,94,265/- और ₹ 4,51,49,983/- की राशि को गैर-वसूली योग्य माना जाता है और वर्ष के दौरान आय और व्यय खाते के माध्यम से परियोजना अनुदान से हटा दिया जाता है। कुल परियोजना परिसंपत्तियों की राशि ₹ 2,00,59,723/- में से, परिसंपत्ति मूल्य राशि ₹ 1,24,30,588/- करोड़ अन्य केंद्र (आईकैट, मानेसर राशि ₹ 1.12 करोड़ और जीएआरसी, चेन्नई राशि ₹ 0.12 करोड़) को स्थानांतरित कर दिया गया है और शेष राशि ₹ 76,29,135/- (31.03.2022 तक डब्ल्यूडीवी ₹ 23,51,482/-) को वर्ष के दौरान आय और व्यय खाते के माध्यम से क्षति/गैर-वसूली के कारण लिख दिया गया है।

7. एआरएआई और वीआरडीई परियोजना परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजना अनुदान की राशि क्रमशः ₹ 296.20 करोड़ और ₹ 46.02 करोड़ को गुप्स फंड से कम कर दिया गया है, क्योंकि नियंत्रण और निगरानी पहले ही ऐसे केंद्र को हस्तांतरित कर दी गई है।

8. परियोजना परिसंपत्तियों में ₹ 28.07 करोड़ (सकल ब्लॉक) शामिल हैं, जो 2018-19 से पहले राज्य सरकार को भूमि हस्तांतरण पर होने वाली लागत से संबंधित नैट्रिक्स-इंदौर की परियोजना परिसंपत्तियों का मूल्य है। इन परिसंपत्तियों से सोसायटी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, परियोजना परिसंपत्तियों की लागत ₹ 14.28 करोड़ (नेट ब्लॉक) को वर्ष के दौरान आय और व्यय खाते के माध्यम से राइट-ऑफ/चार्ज-ऑफ किया गया है।

9. वित्तीय वर्ष 2008-09 में नैट्रिप को चेन्नई में 2/3 पहिया वाहनों की रीसाइक्लिंग के लिए रीसाइक्लिंग डेमो यूनिट (आरडीयू) की स्थापना के लिए ₹ 1.41 करोड़ का अनुदान (योजना अनुदान से परे) प्राप्त हुआ है। जीएआरसी चेन्नई में रीसाइक्लिंग डेमो यूनिट स्थापित कर दी गई है और उसे क्रियाशील बना दिया गया है। उपरोक्त अनुदान से निर्मित परिसंपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

अंतर्गत परिसंपत्तियों का विवर	राशि (रु.)
मशीनरी उपकरण	35,69,271.00
एयर कंडीशनर	33,837.00
कंप्यूटर/ परिधीय	38,800.00
टोकरे और पैलेट-	2,95,181.00
फर्नीचर और स्थिरता	4,42,770.00
कार्यालय उपकरण	61,208.00
मुद्रक	43,150.00
सोनी कैमरा- DSC 570B	11,185.00
कुल	44,95,402.00

10. 31.03.2022 तक एकचुरियल मूल्यांकन के अनुसार ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ में)

क्र.स.	लागत केंद्र का नाम	देय ग्रेच्युटी (छूट दर @ 7% प्रति वर्ष)					
		वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान सेवा लागत	पिछली सेवा लागत	एलआईसी के माध्यम से वित्तपोषित	मूल्यांकन रिपोर्ट की तिथि	चालू वर्ष की राशि
1	एनएबी (नैट्रिप)	0.93	0.05	0.88	-	15.12.22	0.17
2	आईकैट	7.33	0.55	6.78	हाँ	18.04.22	1.29
3	जीएआरसी	1.54	0.12	1.42	-	02.12.22	0.30
4	नैट्रक्स	1.42	0.07	1.35	आंशिक रूप से	14.09.22	0.28
5	नियामित	0.47	0.02	0.45	-	07.12.22	0.11

क्र.स.	लागत केंद्र का नाम	अवकाश नकदीकरण देय (छूट दर @ 7% प्रति वर्ष)					
		वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान सेवा लागत	पिछली सेवा लागत	एलआईसी के माध्यम से वित्त पोषित	मूल्यांकन रिपोर्ट की तिथि	चालू वर्ष की राशि
1	एनएबी (नैट्रिप)	0.25	0.03	0.22	-	15.12.22	0.11
2	आईकैट	5.95	0.25	5.7	हाँ	06.04.22	1.76
3	जीएआरसी	0.76	0.16	0.6	-	02.12.22	0.22
4	नैट्रक्स	0.49	0.05	0.44	-	12.12.22	0.10
5	नियामित	0.15	0.03	0.12	-	08.12.22	0.02

11. वर्ष 2021-22 के दौरान सोसायटी को एमएचआई से डिमांड इंसेंटिव डिलीवरी मैकेनिज्म (डीआईडीएम) फंड के रूप में ₹ 499.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें ₹ 41.60 करोड़ के शुरुआती डीआईडीएम फंड बैलेंस को जोड़ने के बाद वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल डीआईडीएम फंड ₹ 540.60 करोड़ है। जिसमें से सोसायटी ने वर्ष के दौरान ₹ 469.59 करोड़ की राशि वितरित की है। ₹ 21.70 करोड़ के देय शुरुआती डीआईडीएम अनुदान को समायोजित करने के बाद वर्ष के दौरान भुगतान किया गया शुद्ध डीआईडीएम अनुदान ₹ 447.89 करोड़ है। इसके अलावा, वर्ष के अंत तक दर्ज किए गए लेकिन अस्वीकृत दावों के संबंध में कुल ₹ 72.09 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसे



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के तहत दिखाया गया है। उपरोक्त समायोजन के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्ध डीआईडीएम फंड ₹540.60 करोड़ से विनियोजित किया जाने वाला कुल डीआईडीएम अनुदान ₹519.97 करोड़ है, जिसका अर्थ है कि वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त डीआईडीएम फंड ₹20.63 करोड़ है।

12. वर्ष के दौरान फेम योजना के अंतर्गत, सोसायटी को स्थापना एवं अवसंरचना निधि के लिए ₹1 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त हुई। हालाँकि, सोसायटी ने चालू वर्ष के दौरान ₹1.41 करोड़ का व्यय किया है। ₹1.68 करोड़ की आरंभिक अप्रयुक्त स्थापना एवं अवसंरचना निधि पर विचार करने के पश्चात, वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त स्थापना एवं अवसंरचना निधि ₹1.27 करोड़ है, जिसे चालू देयताओं के अंतर्गत “अन्य परियोजना अनुदान” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

13. सोसायटी ने ₹36,30,99,233/- (पिछले वर्ष ₹73,93,488/-) की ब्याज राशि अर्जित की है, जिसमें नकदीकृत प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) पर अर्जित ब्याज राशि शामिल है। इसे भारत सरकार या ठेकेदारों को वापस किया जाना है, इसलिए इसे चालू देयताओं के शीर्षक के तहत दिखाया गया है। अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज भारत सरकार को देय है, जो कि फेम से संबंधित अप्रयुक्त अनुदान के लिए ₹9,68,271/- और ई वी परीक्षण सुविधाओं और अन्य आर - डी अनुदान से संबंधित अप्रयुक्त अनुदान के लिए ₹1,14,33,401/- है।

14. सोसायटी ने ₹77 करोड़ की प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) राशि को भुनाया है, जिसे विवाद/मध्यस्थता मामले के कारण ठेकेदारों से भुनाया गया है। इसे भारत सरकार या ठेकेदारों को वापस किया जाना है, इसलिए इसे चालू देयताओं के शीर्षक के तहत दिखाया गया है।

15. नैटिस द्वारा एआरआई - आरसीएन के अधिग्रहण के समय, कुछ परिसंपत्तियाँ निःशुल्क प्राप्त की गई हैं। ये परिसंपत्तियाँ संख्या में 12 हैं तथा अचल परिसंपत्ति अनुसूची में प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 रुपये है।

16. सोसायटी को भारत सरकार द्वारा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र विशेष अनुदान प्राप्त होता है। ऐसे विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास के संचालन के लिए, मुख्य रूप से उपकरणों की प्रकृति में कुछ अचल संपत्तियाँ खरीदी गई हैं, जिनका लेखा उस विशिष्ट अनुदान के उपयोग के अंतर्गत किया गया है। चूंकि ये उपकरण विशिष्ट उपयोग के लिए हैं और परियोजना के पूरा होने के बाद, स्वीकृति के अनुसार संग्रहीत किए गए हैं, इसलिए अनुदान स्वीकृति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बाद इनका निपटान किया जा सकता है। ऐसी संपत्तियों के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखा गया है। विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्र.स.	आईकैट केंद्र (आर एंड डी परियोजना)	01.04.2021 तक प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	प्राप्त ब्याज	वर्ष के दौरान उपयोग (ब्याज सहित)	31.03.2022 तक समापन शेष
1	सड़क पर चकाचौंध को कम करने और आगे की दृश्यता बढ़ाने के लिए डायनामिक हेड लाइटिंग सिस्टम	0.36	-	0.01	₹0.37 (भारत कोष में ₹0.01 ब्याज जमा सहित वापस किया जाएगा)	-
2	एलसीवी/एमयूवी वाहनों के लिए समानांतर सेमी-हाइब्रिड रेट्रो फिटमेंट सिस्टम का डिजाइन और विकास	1.11	-	0.03	₹1.14 (भारत कोष में ₹0.03 ब्याज जमा सहित वापस किया गया)	-
3	सड़क यातायात दुर्घटनाओं का गहन डेटा संग्रह	0.71	-	0.02	0.59	0.14
4	महत्वाकांक्षा करना	0.76	-	0.02	1.03	(0.25)
	कुल राशि	2.94	-	0.08	3.13	(0.11)

17. देनदारों और लेनदारों के शेष की पुष्टि और समाधान किया जाना है। संबंधित केंद्रों के लिए खराब ऋणों का प्रावधान किया गया है, जहां वसूली की संभावना नगण्य है और लंबे समय में वसूली योग्य नहीं है। आईकैट केंद्र के मामले में खराब ऋणों का प्रावधान तब किया गया था जब देनदारों की बकाया राशि छह महीने से अधिक थी, लेकिन 01.04.2021 से खराब ऋणों का प्रावधान किया गया है, जहां वसूली की संभावना नगण्य है और लंबे समय में वसूली योग्य नहीं है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में 31.03.2021 तक बनाए गए ₹1,31,57,080/- के खराब ऋणों का प्रावधान उलट दिया गया है और आय और व्यय खाते में जमा किया गया है।

18. चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाए गए वैधानिक बकाया (शुल्क और कर) मार्च, 2022 के महीने के लिए देय हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में छह महीने से अधिक समय तक कोई बकाया नहीं है। बकाया टीडीएस वसूली योग्य राशि संबंधित वर्ष का मूल्यांकन पूरा होने पर वसूल/समायोजित की जाएगी।

19. भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण करने के चरण II (फेम इंडिया चरण II) नामक एक योजना को लागू कर रहा है। वर्तमान में, फेम इंडिया योजना का चरण- II 1 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें कुल ₹ 10,000 करोड़ का बजटीय समर्थन है। यह चरण 10 लाख ई-2 पहिया (ई-2 डब्ल्यू), 5 लाख ई-3 पहिया (ई-3 डब्ल्यू), 55,000 ई-4 पहिया (ई-4 डब्ल्यू) यात्री कारों और 7090 ई-बसों के लिए सब्सिडी के माध्यम से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने पर केंद्रित है। 09 दिसंबर 2022 तक, इलेक्ट्रिक वाहनों के 64 मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) पंजीकृत हो चुके हैं और फेम इंडिया चरण-II के तहत ₹ 7.47 लाख ईवी बेचे जा चुके हैं। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत, व्यापक रूप से अपनाने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के कम खरीद मूल्य के रूप में उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को मांग प्रोत्साहन/सब्सिडी दी जाती है, जिसे भारत सरकार द्वारा मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना के तहत कुल बजटीय सहायता ₹ 10,000 करोड़ है। मंत्रालय को कुछ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं द्वारा सरकार की फेम इंडिया चरण-II योजना के तहत सब्सिडी के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिली हैं। शिकायतें मुख्य रूप से फेम इंडिया योजना चरण-II के तहत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं। सभी शिकायत मामलों को पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण एजेंसियों को भेजा गया है। दो ओईएम के संबंध में रिपोर्टों की जांच के बाद, इन दो ओईएम के मॉडल को फेम योजना से निलंबित कर दिया गया। जब तक वे पीएमपी समयसीमा के अनुपालन को दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं करते हैं।

20. वर्ष के दौरान, नैट्रेक्स केंद्र ने 31.03.2022 तक प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर ₹ 1,51,68,600/- की आय का लेखा-जोखा रखा है, जिसके लिए प्रदान की गई सेवाओं की अंतिम विचार राशि पर असहमति के कारण बाद के वित्तीय वर्ष में बिलिंग की जाती है।

21. वर्ष के दौरान ₹ 4.26 करोड़ की राशि के लिए अनुसंधान एवं विकास आरक्षित निधि का सृजन किया गया है, जो सोसायटी के आईकैट प्रभाग की आय और व्यय के 5% के बराबर है।

22. पूर्व अवधि की वस्तुओं का विवरण

(राशि ₹ में)

पूर्व अवधि व्यय (आईकैट):	वित्त वर्ष 2021-2022	वित्त वर्ष 2020-2021
i) उपभोज्य और परीक्षण	₹. 1,38,666/-	₹. 76,475/-
ii) कर्मचारी कल्याण	₹. 74,054/-	₹. 35,118/-
iii) मशीनरी मरम्मत एवं रखरखाव	₹. 11,48,625/-	₹. 10,54,825/-
iv) सामान्य मरम्मत एवं रखरखाव	₹. 3,300/-	₹. 1,64,654/-
v) व्यवसाय संवर्धन व्यय	₹. 5,666/-	₹. 7,85,555/-
vi) आउटसोर्सर्ड मैनपावर व्यय	₹. 14,800/-	₹. शून्य
vii) परीक्षण व्यय	₹. 4,43,000/-	₹. 75,800/-
viii) माल ढुलाई एवं ढुलाई	₹. 1,500/-	₹. शून्य



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

ix) पुस्तकें और पत्रिकाएं	₹. शून्य	₹. 7,495/-
x) यात्रा एवं भ्रमण व्यय	₹. शून्य	₹. 57,219/-
xi) वाहन चलाने और रखरखाव का खर्च	₹. शून्य	₹. 37,530/-
xii) टेलीफोन व्यय	₹. 11,998/-	₹. 12,058/-
xiii) कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय	₹. शून्य	₹. 5,000/-
कुल	₹. 18,41,609/-	₹. 23,11,729/-
पूर्व अवधि आय (आईकैट):		
i) दरें और कर	₹. 28,78,647/-	₹. शून्य
ii) जीएसटी व्यय	₹. 3,50,443/-	₹. शून्य
कुल	₹. 32,29,090/-	₹. शून्य
पूर्व अवधि आय (नियामित):		
i) भवन रखरखाव व्यय	₹. शून्य	₹. 11,64,728/-
पूर्व अवधि आय (नैट्रैक्स):		
i) विविध व्यय	₹. 2,36,926/-	₹. शून्य
पूर्व अवधि आय (जीएआरसी):		
i) विविध व्यय	₹. 3,70,016/-	₹. शून्य
पूर्व अवधि आय (एनएबी-फेम):		
i) कंसल्टेंसी अनुभव	₹. 1,41,600/-	₹. शून्य
पूर्व अवधि आय (नैट्रिप):		
i) परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	₹. 95,95,86,770/-	₹. शून्य

23. विदेशी मुद्रा में आय/व्यय (आईकैट):

(राशि रु. में)

	वित्त वर्ष 2021-2022	वित्त वर्ष 2020-2021
i) विदेशी मुद्रा में आय	₹. 6,94,20,638/-	₹. 7,52,19,667/-
ii) विदेशी मुद्रा में व्यय	₹. 5,30,61,891/-	₹. 18,86,34,444/-
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन क्रेडिट (डॉ.)	₹. 9,54,461/-	₹. 59,23,667/-

24. आकस्मिक देयता:

- क) श्री एस. पुरुषोत्तमन (पूर्व कर्मचारी) ने वेतन में कटौती और सेवा समाप्ति के लिए नैटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिनका कुल दावा ₹ 35,00,000 है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और नैटिस को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- ख) नैट्रैक्स, इंदौर में ₹ 453 करोड़ की लागत से परीक्षण पथ के निर्माण का कार्य 4 मई 2010 को 2 वर्ष की अनुबंध अवधि अर्थात् 14 सितम्बर 2012 तक के लिए दिया गया था और जीएआरसी, चेन्नई में ₹ 72.35 करोड़ की लागत से 12 महीने की अनुबंध अवधि के लिए परीक्षण पथ का निर्माण कार्य भी आईवीआरसीएल को 4 मई 2010 को दिया गया था। 16 जनवरी 2013 को मेसर्स आईवीआरसीएल के साथ परियोजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि जीएफसीडी जारी करने में देरी, डिजाइन की समीक्षा के लिए कार्य पर रोक आदि जैसे विभिन्न कारणों से; और निर्माण सामग्री अर्थात् डीजल, बिटुमिन, सीमेंट, स्टील आदि और श्रम की लागत में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए वे मूल बीओक्यू दरों के अनुसार कार्य निष्पादित करने की स्थिति में नहीं होंगे और कार्य के निष्पादन के मामले में मेसर्स आईवीआरसीएल को प्रयाप्त घाटा होगा क्योंकि दर 3.5 वर्ष से अधिक पुरानी है। उपरोक्त आधार और परियोजना के हित के आधार पर नैटिस ने मेसर्स आईवीआरसीएल के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। मेसर्स आईवीआरसीएल ने नैट्रैक्स, इंदौर और जीएआरसी, चेन्नई के परीक्षण ट्रैक के अनुबंध के विरुद्ध अपने अनुबंधात्मक नुकसान के दावों के अनुसार ₹ 201.48 करोड़ की राशि के पूरक दावों सहित कुल ₹ 415.27 करोड़ के दावे दायर किए हैं। नैट्रिपने जोखिम और लागत के कारण मेसर्स आईवीआरसीएल पर ₹ 792.35 करोड़ (संशोधित राशि ₹ 871.06 करोड़) के लिए जवाबी दावे भी दायर किए हैं। मामला मध्यस्थता के अधीन है और मेसर्स आईवीआरसीएल को 23.02.2018 को दिवालिया घोषित कर दिया गया था और कंपनी का परिसमापन प्रक्रियाधीन था।
- ग) हमारे ठेकेदार मेसर्स डीएस पार्टनरशिप ने सिविल, जनरल अरेंजमेंट और जनरल यूटिलिटीज के डिजाइन के लिए अपने सविदात्मक भुगतान के संबंध में GBP 3,32,231.73 (31.03.2022 को INR 99.5524 प्रति GBP के हिसाब से लगभग INR 3.31 करोड़ के बराबर) के साथ-साथ दावों के अनुसार GBP 5,18,787.48 लगभग (31.03.2022 को INR 99.5524 प्रति GBP के हिसाब से लगभग INR 5.16 करोड़ के बराबर) ब्याज के साथ दावा दायर किया है। सिविल, सामान्य व्यवस्था और सामान्य उपयोगिताओं के डिजाइन की डिलीवरी के लिए उनके सविदात्मक भुगतान के लिए और मध्यस्थता कार्यवाही की लागत के लिए GBP 15,000.00 (31.03.2022 तक INR 99.5524 प्रति GBP के हिसाब से लगभग INR 14.93 लाख के बराबर) का दावा भी दायर किया। 02.04.2016 के आदेश के अनुसार मामले का फैसला सोसायटी के पक्ष में हुआ है। इस आदेश के खिलाफ मेसर्स डीएस पार्टनरशिप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में है। इस दावे के खिलाफ खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
- घ) (i) आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए आयकर निर्धारण पूरा हो गया है और सोसायटी के खिलाफ ₹ 2,49,84,069/- की मांग की गई है। मांग के खिलाफ सोसायटी ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की है और अपीलीय प्राधिकारी से अनुकूल आदेश भी प्राप्त किया है। हालांकि, विभाग की ओर से अपील अभी भी लंबित है। इसे देखते हुए खातों में इस देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (ii) आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आयकर

निर्धारण पूरा हो गया है और टीडीएस राशि ₹ 7,50,34,415/- (कुल विवादित मांग ₹ 8,53,23,342/- रुपये) को समायोजित करने के बाद सोसायटी के खिलाफ ₹ 1,02,88,927/- की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के खिलाफ सोसायटी ने अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। अपील आदेश के अनुसार मांग राशि घटाकर ₹ 2,46,01,480/- कर दी गई है। प्रबंधन का मानना है कि अपील की कार्यवाही समाप्त होने और आदेश प्राप्त होने के बाद, सोसायटी के खिलाफ कोई मांग नहीं हो सकती है। इसे देखते हुए खातों में इस देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(iii) आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयकर निर्धारण पूरा हो गया है और टीडीएस राशि ₹ 6,73,78,591/- (कुल विवादित मांग ₹ 22,73,25,729/-) समायोजित करने के बाद सोसायटी के खिलाफ ₹ 15,99,47,138/- की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के खिलाफ सोसायटी ने अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। प्रबंधन का मानना है कि अपील की कार्यवाही समाप्त होने और आदेश प्राप्त होने के बाद, सोसायटी के खिलाफ कोई मांग नहीं हो सकती है। इसे देखते हुए खातों में इस देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(iv) आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर निर्धारण पूरा हो गया है और टीडीएस राशि ₹ 12,29,83,109/- (कुल विवादित मांग ₹ 51,34,37,279/-) समायोजित करने के बाद सोसायटी के खिलाफ ₹ 39,04,54,170/- की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के खिलाफ सोसायटी ने अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। प्रबंधन का मानना है कि अपील की कार्यवाही समाप्त होने और आदेश प्राप्त होने के बाद, सोसायटी के खिलाफ कोई मांग नहीं हो सकती है। इसे देखते हुए खातों में इस देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ड) नैट्रिप ने 7 मई 2010 को इंदौर के नैट्रैक्स में क्लाइंट वर्कशॉप, मेंटेनेंस और जनरल स्टोरेज बिल्डिंग के निर्माण के लिए मेसर्स एरा बिल्डसिस लिमिटेड के साथ ₹ 11,13,18,590/- का अनुबंध किया था। काम पूरा हो गया और ठेकेदार मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस (जिसे पहले एरा बिल्डसिस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के साथ अंतिम बिल का निपटान कर दिया गया। मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस ने अनुबंध के खंड 19ए का इस्तेमाल किया और दावों की सूचना 24 जुलाई, 2017 को नैट्रिप को दी गई। इसके अलावा, उन्होंने अनुबंध के खंड 31 (सौहार्दपूर्ण समझौता और मध्यस्थता) का इस्तेमाल करते हुए 28 अगस्त, 2017 को एक और पत्र जारी किया और सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए श्री ए.के. शर्मा को अपना नामित व्यक्ति नियुक्त किया। इसके बाद, 25 अक्टूबर, 2017 को ठेकेदार के साथ नैट्रिप मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई। इसके अलावा, मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस ने 21 नवंबर, 2017 को अपने पत्र के माध्यम से अपनी सुरक्षा जमा राशि (अर्थात प्रतिधारण धन) जारी करने का अनुरोध किया। प्रतिधारण धन 25 जनवरी, 2018 को जारी किया गया है। ठेकेदार ने 13 फरवरी, 2018 को (हलफनामे में उल्लिखित तारीख के अनुसार) दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थता दायर की। याचिका की प्रति इस कार्यालय में 26 फरवरी, 2018 को प्राप्त हुई। ठेकेदार द्वारा दावा की गई राशि विलंबित परियोजना के कारण हुए नुकसान के लिए ₹ 9.32 करोड़ है। इस दावे के खिलाफ खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

च) 1 अप्रैल, 2010 को 58,52,715 यूरो के अनुबंध मूल्य पर जीएआरसी में क्रैश टेस्ट इंस्ट्रुमेंटेशन की आपूर्ति और स्थापना के लिए मेसर्स किस्टलर इंस्ट्रुमेंट एजी, स्विट्जरलैंड के साथ अनुबंध किया था। आपूर्ति 2013 में की गई थी और सामग्री की आपूर्ति के खिलाफ 80% भुगतान जारी किया गया है। हालांकि ठेकेदार द्वारा स्थापना नहीं की गई थी। मामला मध्यस्थता के अधीन था। ठेकेदार ने

18,59,593/- यूरो (31.03.2022 को लगभग ₹ 15.74 करोड़ के बराबर /84.6599 यूरो प्रति यूरो) का दावा दायर किया और नैट्रिप ने ₹ 17.82 करोड़ और 43,69,722.19 यूरो (31.03.2022 को लगभग ₹ 54.81 करोड़ के बराबर / 84.6599 यूरो प्रति यूरो) का काउंटर दावा दायर किया है। मध्यस्थता ने आंशिक रूप से मेसर्स किस्टलर के पक्ष में फैसला सुनाया। सोसायटी ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

- छ) आईकैट सेंटर के भूतपूर्व कर्मचारी श्री राकेश गर्ग ने पुनः नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है तथा ₹ 10 लाख के मुआवजे का दावा किया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- ज) सोसायटी के एक प्रभाग आईकैट ने ऋण पत्र जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में ₹ 25.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.19) की सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार बनाया है।
25. अग्रिम, सुरक्षा जमा, देनदार और विभिन्न प्राप्य एवं लेनदारों और विभिन्न देय राशियों की शेष राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है।
26. भुगतान किए गए/देय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित वैधानिक देयताएं (शुल्क और कर) विभिन्न वैधानिक रिटर्न फील्ड के साथ समाधान के अधीन हैं, वित्तीय विवरणों पर ऐसे समाधान का कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।
27. वर्तमान आंकड़ों को अधिक तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत, पुनः व्यवस्थित और पुनः ढाला गया है।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन:24096778BKCZBR2656

Sd/-
प्रबंधक (वित्त)
एनएबी

Sd/-
निदेशक, एमएचआई एवं
लुकिंग आफ्टर
निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी

Sd/-
सीसीए, एमएचआई एवं
लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक : 30-05-2024

स्थान : नई दिल्ली



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of the National Automotive Board, Manesar for the year ended 31 March 2022

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Automotive Board (NAB) I as at 31 March 2022, and the Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account for the year ended on that date, under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Clause 21.3 of the Rules & Regulations (Bye-laws) of the National Automotive Board. The Audit of the Board has been entrusted to the Comptroller and Auditor General of India for the period up to 2025-26. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with respect to classification, conformity with best accounting practices, accounting standards and disclosure norms. Other significant audit observations with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency cum performance aspects etc. are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with the accounting standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. Audit includes examining on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - (i) We have obtained all information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government for Central Autonomous Bodies..
 - (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Automotive Board as required under Clause 21.2 of the Rules and Regulations of the Board in so far as it appears from our examination of such books.
 - (iv) We further report that:

¹ Including all divisions of NAB

COMMENTS ON ACCOUNTS:**A. BALANCE SHEET****A.1 Fixed Assets (Schedule-8)****A.1 Project Assets (Schedule 8B): ₹1,950.85 crore****GARC, Chennai - Land (Leasehold): ₹65.20 crore**

NAB (erstwhile NATRIP) acquired (October 2006) Land from State Industries Promotion Corporation of Tamilnadu Limited (SIPCOT) on 99 years lease for Global Automotive Research Centre (GARC) at Chennai and paid an amount of ₹64.79 crore to SIPCOT. It also incurred ₹0.08 crore towards land acquisition charges. Lease Deed was signed on 6 November 2020.

In this regard, reference is invited to Para 18 of AS-19 (Leases), which, inter-alia, stipulates that, a finance lease gives rise to a depreciation expense for the asset as well as a finance expense for each accounting period. If there is no reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the asset should be fully depreciated over the lease term or its useful life, whichever is shorter.

As there are no documents/evidence to establish that NAB will obtain the ownership of the land, the aforesaid amount of ₹64.87 crore (₹64.79 crore plus ₹0.08 crore) should be amortised over the lease term or useful life of the Land, whichever is shorter.

Further, NAB acquired (February 2006) Land at Silchar (Assam) on 'Patta' for an initial period of 25 years, for setting up National Institute for Automotive Inspection Maintenance & Training (NIAIMT) and made a total payment of ₹0.18 crore. However, no amortization of the amount paid has so far been made in the books of accounts.

Non-amortisation of the amount paid towards Leasehold Land has resulted in understatement² of depreciation and overstatement of Land (leasehold). Consequently, Excess of Income over expenditure is also overstated. Further, NAB has not framed/disclosed any policy on amortisation of lease payment.

B. GENERAL, COMMENTS

B.1 Rule 237 of General Financial Rules, 2017 stipulates that approved and authenticated annual accounts should be made available by the Autonomous Bodies to the concerned Audit Office by 30th June, However, NAB had submitted its accounts for the year 2021-22 for Audit only in October 2023. Further, in view of the comments included in the SAR for the year 2014-15 as issued in February 2024, NAB recast its accounts for the years 2014-15 to 2022-23 as per recommendations of its Board in a meeting held on 28 February 2024. The recast annual accounts for the period 2014-15 to 2022-23 were submitted by NAB for Audit on 24 July 2024.

The fact regarding recasting of accounts on the basis of audit observations and the impact thereof has not been disclosed in the Notes to Accounts.

² Audit is unable to quantify the amount of understatement or overstatement in absence of details of payments made to SIPCOT.



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

B.2 The impact of recasting of annual accounts for the year 2021-22 by NAB is as under:

(i) **Balance Sheet:** Capital Fund decreased by ₹93.99 crore, Earmarked Fund increased by ₹20.63 crore and Current Liabilities and Provisions increased by ₹73.36 crore.

(ii) **Income and Expenditure Account:** Total Income decreased by ₹498.59 crore, Total Expenditure decreased by ₹468.44 crore and Surplus in Income and Expenditure Account decreased by ₹30.15 crore.

B.3 As per Clause 15.3(b) of the Rules and Regulation of NAB, the Governing Council shall hold at least one meeting within every six months at such time and place as the Chairman may determine. However, only one meeting of the Governing Council was held during the financial year 2021-22.

C. Grant-in-aid

The position of receipt and utilisation of grants-in-aid by NAB during the year 2021-22 was as under:

(₹ in lakh)

Particulars	NATRIP & ICAT Grant	Establishment and Infra Grant	DIDM Grant	Total
Balance as on 1 April 2021	2,865.71	167.96	4,160.50	7194.17
Grants received during the year	Nil	100.00	49,900.00	50,000.00
Grants refunded	-	-	-	-
Grants utilised during the year	1,537.27	141.50	51,997.54	53,676.31
Balance as on 31 March 2022	1,328.44	126.46	2,062.96	3,517.86

Besides, NAB earned interest of ₹ 3.47 crore on grants during the year 2021-22.

D. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of NAB through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure-I** to this Audit Report, give a **true and fair view** in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Automotive Board, Manesar as at 31 March 2022; and

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



- (b) In so far as it relates to Income and Expenditure account, of the Excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place: New Delhi

Dated: 01 APRIL 2025

**(S. Ahladini Panda)
Director General of Audit
Industry & Corporate Affairs
New Delhi**



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Revised Annexure I to Separate Audit Report**1. Adequacy of Internal Audit System**

NAB did not have an internal audit wing during the financial year 2021-22. However, the internal audit has been carried out by Mithilesh Sing & Co, Chartered Accountants

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control system in NAB was inadequate and not commensurate with the size of the organization as it did not have a recruitment policy for personnel management. Further, no accounting manual was there in NAB during FY 2021-22.

3. System of physical verification of Fixed Assets

Physical verification of fixed assets was carried out during the financial year 2021-22.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory was carried out during the financial year 2021-22.

5. Regularity in payment of statutory dues

NAB was regular in payment of undisputed statutory dues during 2021-22.

Director (AMG-III)

एनएबी का स्पष्टीकरण वित्तीय वर्ष 2021-22

क्र.सं	सीएंडएजी की टिप्पणियां	एनएबी का स्पष्टीकरण
क.1	जीएआरसी, चेन्नई - भूमि (लीजहोल्ड): ₹65.20 करोड़ एनएबी (पूर्ववर्ती नैट्रिप) ने चेन्नई में ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी) के लिए 99 साल के पट्टे पर तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड (सिपकोट) से भूमि अधिग्रहित की (अक्टूबर 2006) और सिपकोट को ₹64.79 करोड़ की राशि का भुगतान किया। भूमि अधिग्रहण शुल्क के रूप में इसने ₹0.08 करोड़ भी खर्च किए। लीज डीड पर 6 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संबंध में, एस-19 (लीज) के पैरा 18 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि, वित्तीय लीज से परिसंपत्ति के लिए मूल्यहास व्यय के साथ-साथ प्रत्येक लेखा अवधि के लिए वित्त व्यय भी उत्पन्न होता है। यदि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि पट्टेदार को पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, तो परिसंपत्ति का पट्टे की अवधि या उसके उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर पूर्ण रूप से मूल्यहास किया जाना चाहिए। चूंकि यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है कि एनएबी भूमि का स्वामित्व प्राप्त करेगा, इसलिए ₹64.87 करोड़ (₹64.79 करोड़ प्लस ₹0.08 करोड़) की उपरोक्त राशि को पट्टे की अवधि या भूमि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर परिशोधित किया जाना चाहिए।	नैट्रिप परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना थी, जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति की थी। सोसायटी की लेखा नीति के अनुसार व्यय किए गए अनुदान को अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है: 'सोसायटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को उनके अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें माल ढुलाई, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील बनाने के लिए किए गए हैं।' (लेखांकन नोट्स और आकस्मिक देयताओं की अनुसूची संख्या 24 के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की क्रम संख्या 3 देखें) 25.10.2006 को सिपकोट द्वारा जीएआरसी को नैट्रिप परियोजना के तहत ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के लिए ₹56.56 करोड़ की लागत से 99 वर्षों के लिए ₹100 के नाममात्र पट्टे के किराए के साथ भूमि आवंटित की गई थी। इसे अगले 99 वर्षों की समान अवधि के लिए नवीनीकरण परस्पर सहमति, अनुबंधों और प्रावधानों के प्रचलित निति के अनुसार दिया जा सकता है। भूमि को सरेंडर करने की स्थिति में, सिपकोट द्वारा जीएआरसी को प्लॉट की लागत वापस कर दी जाएगी। पट्टा समझौते के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार हैं: 2.1 पट्टाकर्ता द्वारा किए गए भूखंड के आवंटन के प्रतिफल स्वरूप, पट्टाधारक ने भूखंड की लागत के रूप में ₹56,55,61,000/- (छप्पन करोड़, पचपन लाख और इकसठ हजार रुपये मात्र) का भुगतान किया है। 2.2 प्लॉट की कीमत ₹56,55,61,000/- (छप्पन करोड़, पचपन लाख और इकसठ हजार रुपये मात्र) लीज अवधि की समाप्ति पर वापस नहीं की जाएगी। 2.3 पट्टेदार ने वार्षिक पट्टा किराया के 100% के रूप में ₹100/- (केवल एक सौ रुपये) का अग्रिम भुगतान किया है। वार्षिक पट्टा किराया 98 वर्षों के लिए प्रति वर्ष एक रुपये और 99वें वर्ष के लिए ₹2 के हिसाब से गणना की जाती है।

लीजहोल्ड भूमि के लिए भुगतान की गई राशि का परिशोधन न किए जाने के परिणामस्वरूप मूल्यहास को कम करके दिखाया गया है और भूमि (लीजहोल्ड) को अधिक दिखाया गया है। परिणाम स्वरूप, व्यय की तुलना में आय की अधिकता को भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। इसके अलावा, एनएबी ने लीज भुगतान के परिशोधन पर कोई नीति नहीं उल्लेखित की है।	2.8 पट्टेदार समझता है और सहमत है कि आवंटन आदेश में निर्धारित भूखंड की लागत केवल अस्थायी है, पट्टादाता आवंटन आदेश में निर्धारित भूखंड के लिए देय राशि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि पट्टादाता को अधिग्रहित भूमि के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा देना पड़ता है या किसी अन्य कारण से ऐसा संशोधित भूखंड लागत पट्टादाता के पक्ष द्वारा भुगतान किया जाएगा। 3.1 पट्टेदार ने उक्त आवंटित भूखंड पर प्रवेश किया और कब्जा ले लिया, जिसके बदले में पट्टेदार ने भूखंड की लागत का 100%, वार्षिक पट्टा किराया चुकाया है। 11.4 इस तरह के समर्पण पर, पट्टादाता को पट्टादाता की मौजूदा समर्पण नीति के अनुसार गणना करके भुगतान करना होगा। भूखंड में निर्मित भवन या अन्य संरचना के सुधार के लिए पट्टादाता द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। 13.1 पट्टाकर्ता, पट्टाधारक के अनुरोध और लागत पर, 99 वर्ष की उक्त अवधि के अंत में, 99 वर्ष की समान अवधि के लिए नवीकरण के माध्यम से अनुसूची में उल्लिखित भूखंड का एक नया पट्टा निष्पादित कर सकता है, ऐसे अनुबंधों और प्रावधानों पर जो परस्पर सहमत हो सकते हैं या प्रचलित नीति के अनुसार हो सकते हैं। तदनुसार, प्लॉट की लागत, नाममात्र पट्टा किराया, अन्य पूंजीकरण लागत अर्थात् भूमि के सर्वेक्षण की लागत, वन भूमि की लागत और स्टांप ड्यूटी पूंजीकरण शुल्क आदि की लागत सहित कुल लागत 65.20 करोड़ रुपये को पूंजीकृत किया गया है और इसे अचल संपत्तियों (परियोजना संपत्ति) के तहत भूमि के रूप में दिखाया गया है। लागू मूल्यहास नीति के अनुसार (आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरें - लेखा और आकस्मिक देनदारियों के लिए नोट्स की अनुसूची संख्या 24 के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की क्रम संख्या 4 देखें), भूमि गैर-मूल्यहास योग्य संपत्ति है। पट्टे पर लेखांकन मानक (एएस)-19 के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं: पैरा 3.2 के अनुसार, वित्त पट्टा एक ऐसा पट्टा है जो किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व में होने वाले सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक स्थानांतरित कर देता है। पैरा 6 के अनुसार, यदि कोई पट्टा स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है, तो उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शीर्षक अंततः स्थानांतरित हो भी सकता है और नहीं भी। यदि कोई पट्टा स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है, तो उसे परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
--	---

	हालाँकि, एस-19 के पैरा 1 (सी) के अनुसार, इस मानक को भूमि के उपयोग के लिए पट्टा समझौते के अलावा अन्य सभी पट्टों के लेखांकन में लागू किया जाना चाहिए. उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर, उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन को छोड़ने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि उपरोक्त लेखांकन लागू मानकों, लेखांकन नीति के अनुरूप है और 99 वर्षों के लिए ₹100 नाममात्र पट्टा किराया के साथ ₹56.56 करोड़ की लागत वाले भूखंड पर आवंटित भूमि के लिए पट्टा समझौते के अनुसार है। इसके अलावा, एनएबी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन मंटेनेंस एंड ट्रेनिंग (नियामित) की स्थापना के लिए 25 साल की शुरुआती अवधि के लिए सिलचर (असम) में 'सरकारी पट्टे' पर भूमि अधिग्रहित की (फरवरी 2006) और सोसायटी की लेखा नीति के अनुरूप भूमि लागत और अन्य भूमि विकास लागत सहित कुल लागत ₹0.18 करोड़ का पूंजीकरण किया। 17.02.2006 को उक्त भूमि औपचारिक रूप से सौंप दी गई और कछार में क्षेत्रीय वाहन प्रबंधन और विशेष प्रशिक्षण असम के प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया। “पट्टा” की शर्तों के अनुसार, सोसायटी के पास इच्छित उद्देश्य के लिए भूमि का विशेष अधिकार है। स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ हस्तांतरित कर दिए गए हैं और नियामितके पास निहित हैं। हालाँकि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार, सोसायटी दोनों भूमि के लिए पट्टा भुगतान के परिशोधन पर उचित नीति का उल्लेख करेगी।
--	--



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

ख. 1	सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 में प्रावधान है कि अनुमोदित और प्रमाणित वार्षिक खाते स्वायत्त निकायों द्वारा संबंधित लेखा परीक्षा कार्यालय को 30 जून तक उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए, हालांकि, एनएबी ने वर्ष 2021-22 के अपने खाते अक्टूबर 2023 में ही ऑडिट के लिए प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा, फरवरी 2024 में जारी वर्ष 2014-15 के ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) में शामिल टिप्पणियों के मद्देनजर, एनएबी ने 28 फरवरी 2024 को आयोजित बैठक में अपने बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2022-23 के लिए अपने खातों को फिर से तैयार किया। एनएबी द्वारा 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए पुनर्गठित वार्षिक खाते 24 जुलाई 2024 को ऑडिट के लिए प्रस्तुत किए गए। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर खातों के पुनर्गठन और उसके प्रभाव के बारे में तथ्य का खुलासा लेखा टिप्पणियों में नहीं किया गया है।	वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए एनएबी के खाते फरवरी 2020 में सीएंडएजी को सौंपे गए थे। वर्ष 2013-14 के लिए एनएबी के खातों पर ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) 06.11.2020 को जारी किया गया था, इस बीच कोविड-19 महामारी, नैटिस के समापन और समामेलन प्रक्रिया (जो फरवरी 2023 में पूरी हुई) के कारण, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए एनएबी के वार्षिक खाते संसद में नहीं रखे जा सके। सरकारी आदेश के अनुसार, भारत में विश्व स्तरीय परीक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, परियोजना के पूरा होने के बाद, एमएचआई के दिनांक 17.03.2021 के आदेश के अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन ले लिया। आदेश के अनुसार, एनएबीने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए जीएआरसी, नैट्रेक्स, आईकैट आदि केंद्रों का प्रशासन किया। इससे पहले, एनएबी का कार्य सीमित था। एनएबी ने फेम योजना के तहत भुगतान जारी किया। फेम का प्रबंधन एमएचआई (पहले डीएचआई) के अधिकारियों द्वारा किया जाता था और एनएबी को निधि का वितरण पीएओ, एमएचआई के माध्यम से किया जाता था। एनएबी ने नैटिस के एनएबी में विलय के बाद सोसायटी के रूप में अपना पूर्ण कामकाज शुरू किया और नैटिस के सचिवालय ने एनएबी की गतिविधियों का कामकाज अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-18 के खातों की लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसरण में, एनएबी ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक खातों को फिर से तैयार किया और उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। वित्त वर्ष 2014-15 के पुनर्गठित खातों पर ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) 21.02.2024 को जारी किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) में शामिल टिप्पणियों के मद्देनजर, एनएबी ने सीएंडएजी अधिकारियों के साथ एमएचआई में 28.02.2024 को आयोजित बैठक की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 के वर्षों के लिए अपने खातों को फिर से तैयार किया। विलय के बाद, एनएबी के वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के वार्षिक लेखों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पिछली टिप्पणियों के अनुसार पुनः तैयार किया गया है तथा अंतिम टिप्पणियों के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया गया है।
-------------	---	--

		विलय के बाद, एनएबी के वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के वार्षिक लेखों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पिछली टिप्पणियों के अनुसार पुनः तैयार किया गया है तथा अंतिम टिप्पणियों के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया गया है। अब, सीएंडएजी ने 07.04.2025 को वित्त वर्ष 2021-22 तक के लिए अंतिम ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) को “सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण” के रूप में जारी किया है। वित्त वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक के इन वार्षिक खातों को सीएंडएजी रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र और वित्त वर्ष 2024-25 के बजट सत्र में रखा गया है। उपरोक्त विलम्ब निम्नलिखित कारणों से हुआ: (i) केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार खाते तैयार नहीं किए गए। (ii) भारत में कोविड-19 महामारी मार्च, 2020 से शुरू हुई। (iii) नैटिस का एनएबी के साथ विलय प्रक्रियाधीन था। खातों के पुनर्रचना के संबंध में, यह भी सूचित किया जाता है कि बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते और खाते के नोटों के अंतिम पृष्ठ पर, यह उल्लेख किया गया है कि वार्षिक खाते ‘केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार पुनर्रचना की गई खाता पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित हैं’
ख.	एनएबी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक खातों के पुनर्रचना का प्रभाव निम्नानुसार है: (i) बैलेंस शीट: पूंजी निधि में ₹93.99 करोड़ की कमी आई, निर्धारित निधि में ₹20.63 करोड़ की वृद्धि हुई और चालू देनदारियों और प्रावधानों में ₹73.36 करोड़ की वृद्धि हुई। (ii) आय और व्यय खाता: कुल आय में ₹498.59 करोड़ की कमी आई, कुल व्यय में ₹468.44 करोड़ की कमी आई और आय और व्यय खाते में अधिशेष में ₹30.15 करोड़ की कमी आई।	यह उल्लेखनीय है कि यह प्रभाव केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान प्रारूप के अनुसार वार्षिक लेखों के पुनर्गठन संशोधन के कारण है

ख. 3

एनएबी के नियमों और विनियमन के खंड 15.3(बी) के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल को हर छह महीने में कम से कम एक बैठक ऐसे समय और स्थान पर आयोजित करनी होगी, जिसे अध्यक्ष निर्धारित करें। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गवर्निंग काउंसिल की केवल एक बैठक हुई थी

एनएबी ने एमएचआई (पहले डीएचआई) अधिकारियों द्वारा प्रबंधित फेम योजना के तहत प्रोत्साहनों का भुगतान जारी किया था और एनएबी को निधि सवितरण पीएओ, एमएचआई के माध्यम से किया जा रहा था। एनएबी ने नैटिस के एनएबी में विलय के बाद सोसायटी के रूप में अपना पूर्ण कामकाज शुरू कर दिया है और नैटिस के सचिवालय ने एनएबी गतिविधियों का कामकाज संभाल लिया है। वर्तमान में वर्ष 2022 से सोसायटी नियमित आधार पर जीसी बैठक, एजीएम आदि आयोजित कर रही है।

एनएबी का पंजीकरण 27.08.2013 को हुआ। सोसायटी ने वर्षवार निम्नलिखित बैठकें आयोजित की हैं जो इस प्रकार हैं

सं	वर्ष	जी.सी. बैठक	एजीएम/ईजीएम
1	2013	पहली 02.09.2013	
2	2014	-	
3	2015	-	
4	2016	दूसरी 08.04.2016	
5	2017	-	
6	2018	-	
7	2019	तीसरी 15.10.2019	पहली 15.10.2019
8	2020	-	
9	2021	-	
10	2022	चौथी 09.02.2022	दूसरी 09.02.2022
		पाँचवीं 02.11.2022	02.11.2022
11	2023	छठी 06.04.2023	तीसरी 06.04.2023
		सातवीं 25.08.2023	25.08.2023
12	2024	आठवीं 19.07.2024	
		नवीं 22.11.2024	चौथी 22.11.2024
		दसवी 13.12.2024	13.12.2024
13	2025	ग्यारहवी 10.02.2025	10.02.2025

इसके अलावा, 17.03.2021 के एमएचआई आदेश के अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन ले लिया। अधिदेश के अनुसार, एनएबी ने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए केंद्रों जैसे जीएआरसी, नैट्रक्स, आईकैट आदि का प्रशासन किया। अब, एकीकरण के बाद, नैटिस(रेफर ट्रांसफरर सोसाइटी) के ये कर्मचारी अब एनएबी (रेफर ट्रांसफररी सोसाइटी) के कर्मचारी हैं।

नैट्रिप परियोजना वर्ष 2021 में पूरी हो गई और एनएबी के साथ नैटिस के विलय की प्रक्रिया फरवरी, 2023 में पूरी हो गई।

ग.	सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के दौरान एनएबी द्वारा सहायता अनुदान की प्राप्ति और उपयोग की स्थिति निम्नानुसार थी: (₹ लाख में) <table><tr><th>विवरण</th><th>नैट्रिप-आईकैट अनुदान</th><th>स्थापना और अवसरचना अनुदान</th><th>डीआ. ईडीएम अनुदान</th><th>कुल</th></tr><tr><td>1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि</td><td>2,865.71</td><td>167.96</td><td>4,160.50</td><td>7194.17</td></tr><tr><td>वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान</td><td>-</td><td>100.00</td><td>49,900.00</td><td>50,000.00</td></tr><tr><td>अनुदान वापस किया गया</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान</td><td>1,537.27</td><td>141.50</td><td>51,997.54</td><td>53,676.31</td></tr><tr><td>31 मार्च 2022 तक शेष राशि</td><td>1,328.44</td><td>126.46</td><td>2,062.96</td><td>3,517.86</td></tr></table> इसके अलावा, एनएबी ने वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदान पर ₹3.47 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।	विवरण	नैट्रिप-आईकैट अनुदान	स्थापना और अवसरचना अनुदान	डीआ. ईडीएम अनुदान	कुल	1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	2,865.71	167.96	4,160.50	7194.17	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	100.00	49,900.00	50,000.00	अनुदान वापस किया गया	-	-	-	-	वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान	1,537.27	141.50	51,997.54	53,676.31	31 मार्च 2022 तक शेष राशि	1,328.44	126.46	2,062.96	3,517.86	नोट कर लिया
विवरण	नैट्रिप-आईकैट अनुदान	स्थापना और अवसरचना अनुदान	डीआ. ईडीएम अनुदान	कुल																												
1 अप्रैल 2021 तक शेष राशि	2,865.71	167.96	4,160.50	7194.17																												
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	100.00	49,900.00	50,000.00																												
अनुदान वापस किया गया	-	-	-	-																												
वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान	1,537.27	141.50	51,997.54	53,676.31																												
31 मार्च 2022 तक शेष राशि	1,328.44	126.46	2,062.96	3,517.86																												
घ.	प्रबंधन पत्र वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।	नोट कर लिया																														

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 1		
1	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनएबी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं थी। हालाँकि, आंतरिक लेखापरीक्षा मिथिलेश सिंग एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा की गई है।	एनएबी में प्रचलित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है। इसके अलावा, 03.02.2025 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक में ऑडिट कमेटी ने सभी परीक्षण केंद्रों पर एक आंतरिक ऑडिट विंग बनाने का निर्देश दिया। तदनुसार, सभी परीक्षण केंद्रों में आंतरिक जांच और संतुलन की देखभाल के लिए आंतरिक ऑडिट विंग के रूप में एक आंतरिक समिति बनाई गई है और इसे समय के साथ कार्यप्रणाली से समन्वयित किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 से वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करने के लिए सभी केंद्रों को GEM के माध्यम से अलग से आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एनएबी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी और संगठन के आकार के अनुरूप नहीं थी क्योंकि इसमें कार्मिक प्रबंधन के लिए भर्ती नीति नहीं थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एनएबी में कोई लेखा मैनुअल नहीं था।	एनएबी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त थी और संगठन के आकार के अनुरूप थी, क्योंकि यह एक छोटा संगठन है। भर्ती नीति के संबंध में, सोसायटी की भर्ती नीति और नियम तैयार करने के लिए एमएचआई द्वारा एक समिति गठित की गई है। इसके अलावा, दिनांक 01.07.2024 को आयोजित अपनी छठी बैठक में लेखापरीक्षा समिति के निर्देशानुसार, सभी एनएबी परीक्षण केंद्रों के लिए लेखांकन शीर्षों, नीति और प्रक्रियाओं में एकरूपता की दिशा में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और उसे अपनाया गया है, जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा निर्धारित खातों के एक समान प्रारूप के अनुरूप है। (एसओपी की प्रति लेखापरीक्षा टीम को दे दी गई है)।
3	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।	नोट कर लिया
4	रहतिया के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रहतिया का भौतिक सत्यापन किया गया।	नोट कर लिया
5	वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता एनएबी वर्ष 2021-22 के दौरान निर्विवाद वैधानिक बकाया का भुगतान करने में नियमित रहा।	नोट कर लिया



भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत समिति)

पंजीकृत कार्यालय : कमरा न.-123 सी, उद्योग भवन,
भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली-110011

कॉर्पोरेट कार्यालय: द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र
(आईसीएटी) कैम्पस-II, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051

दूरभाष: +91-124-6900000